NEXT IAS

# AANKALAN

## UPPSC MAINS 2024 (GS-II) (PAPER IV)

## TEST 4

**1. भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।**

**भारत का संविधान, समतावादी और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित होकर, अल्पसंख्यकों को उनकी पहचान, संस्कृति और शैक्षिक पहुँच की रक्षा हेतु विशेष अधिकार प्रदान करता है। ये प्रावधान न केवल बहुसंख्यक वर्चस्व से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, बल्कि समान विकास और समावेशी राष्ट्र-निर्माण को संवैधानिक नैतिकता और बहुलतावाद के ढाँचे के भीतर सशक्त करने हेतु हैं।**

### भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

1. **अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध**

   अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों को सार्वजनिक संस्थाओं, सेवाओं और सामाजिक संबंधों में बहिष्करण और हाशिए पर जाने से बचाता है, जिससे वास्तविक समानता का विचार सशक्त होता है।

2. **अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोज़गार में समान अवसर**

   यह प्रावधान बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक रोज़गार में समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सरकारी सेवाओं में भागीदारी का अवसर देता है, जिससे शासन प्रणाली में उनका समावेश होता है और आर्थिक बहिष्करण में कमी आती है।

3. **अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता**

   यह सभी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को, अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। यह धार्मिक पहचान की सुरक्षा करता है और अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था और परंपराओं को संरक्षित करने की आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

4. **अनुच्छेद 26 – धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार**

   यह सभी धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक संस्थाएँ स्थापित करने, प्रबंधित करने, संपत्ति रखने और धार्मिक गतिविधियाँ संचालित करने का अधिकार देता है, जिससे संस्थागत स्वायत्तता बनी रहती है और अल्पसंख्यक अपने धार्मिक जीवन को स्वतंत्र रूप से संगठित कर सकते हैं।

5. **अनुच्छेद 29 – सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा**

   यह प्रावधान अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है, विशेषकर तब जब ये बहुसंख्यक सांस्कृतिक प्रवाह के कारण संकट में हों। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और बहुलतावाद के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

6. **अनुच्छेद 30 – शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार**

   अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। यह उन्हें ज्ञान प्रणाली को विकसित करने, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और शैक्षिक अंतर को पाटने का अवसर देता है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और सेंट स्टीफन कॉलेज जैसे संस्थानों के माध्यम से।

7. **अनुच्छेद 350A और 350B – भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार**

   ये अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करते हैं और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करते हैं, जिससे बहुभाषी राज्यों में भाषायी विविधता की रक्षा होती है और शैक्षिक समानता को बढ़ावा मिलता है।

### भारत में अल्पसंख्यकों के उत्थान में संवैधानिक प्रावधानों की भूमिका

1. **सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा**

   संवैधानिक गारंटियों ने अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में मदद की है, जिससे सांस्कृतिक एकरूपता से सुरक्षा मिलती है। सिख, जैन और ईसाई समुदाय जैसे समूह अपनी विशिष्ट पहचान को भारत के बहुलतावादी ढाँचे में बनाए रखने में सफल रहे हैं।

2. **अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का विस्तार**

   अनुच्छेद 30 के माध्यम से, अल्पसंख्यकों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और ईसाई मिशनरी स्कूल जैसे संस्थानों की स्थापना की है, जिससे साक्षरता और उच्च शिक्षा के स्तर में विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में सुधार हुआ है।

3. **राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी में वृद्धि**

   अनुच्छेद 15 और 16 के तहत प्राप्त समान अधिकारों के कारण अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अल्पसंख्यक विधायकों और मंत्रियों की उपस्थिति ने प्रतिनिधिक लोकतंत्र और समावेशी शासन को सशक्त किया है।

4. **भेदभाव के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा**

   संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त अल्पसंख्यकों को कानूनी उपचार और संरक्षण प्रदान करती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) जैसे संस्थान उनकी शिकायतों का समाधान करते हैं, जिससे संवैधानिक प्रणाली में उनका विश्वास बढ़ता है।

5. **सरकारी योजनाओं के माध्यम से सशक्तिकरण**

   नई रोशनी, पढ़ो परदेस और उस्ताद जैसी योजनाओं ने अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने, कौशल विकास और शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने में सहायता की है, जिससे संवैधानिक मंशा ज़मीनी स्तर पर साकार होती है।

6. **समुदायों के बीच संवाद को सशक्त करना**

   संवैधानिक सुरक्षा उपायों की उपस्थिति समुदायों के बीच तनाव को कम करती है और संवाद तथा सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है। ये प्रावधान विश्वास निर्माण ढाँचे के रूप में कार्य करते हैं और साझा नागरिकता को प्रोत्साहित करते हैं।

7. **भाषाई विविधता को प्रोत्साहन**

   अनुच्छेद 29 और 350 के तहत उर्दू, मलयालम, मणिपुरी और बोडो जैसी क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक भाषाओं को शैक्षणिक और प्रशासनिक संदर्भों में संरक्षित किया गया है, जिससे भारत की बहु-सांस्कृतिक प्रतिबद्धता सुदृढ़ होती है।

**भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों की संवैधानिक संरचना गरिमा, प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करती है, जो एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी लोकतंत्र के मूल में निहित है। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों पर अंकुश लगाया जाए और अंतर्धार्मिक सौहार्द को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि भारत अपने संविधान में निहित "विविधता में एकता" के आदर्श को पूर्णतः साकार कर सके।**

## 2. भारतीय परिप्रेक्ष्य में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की चर्चा कीजिए और न्यायिक सक्रियता द्वारा इस संतुलन को कैसे प्रभावित किया गया है, इसकी विवेचना कीजिए।

**शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) का सिद्धांत शासन के तीन अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—के बीच अधिकारों का वितरण करता है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाँच और संतुलन (checks and balances) सुनिश्चित होते हैं। भारत में यह सिद्धांत कठोर रूप में लागू नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक और कार्यात्मक पृथक्करण अपनाया गया है, जिसे समय के साथ विशेष रूप से न्यायिक सक्रियता (judicial activism) के माध्यम से नया रूप दिया गया है, खासकर कार्यपालिका की अतिरेकता या विधायिका की निष्क्रियता के संदर्भ में।**

### भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण की व्यावहारिक व्याख्या

1. **भारतीय संविधान में कठोर पृथक्करण नहीं**

   अमेरिका के विपरीत, भारत में शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है। अनुच्छेद 50 और 122-123 स्वतंत्रता का संकेत देते हैं, परंतु अध्यादेश जारी करने और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी प्रक्रियाओं में अंगों के बीच अतिव्यापन (ओवरलैप) होता है, जो सख्त विभाजन के बजाय सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देता है।

2. **विधायिका की विधि निर्माण में भूमिका**

   अनुच्छेद 245–246 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभाएँ कानून बनाती हैं। हालाँकि, न्यायपालिका उन कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जो विधायिका की सर्वोच्चता पर न्यायिक जाँच को दर्शाता है, साथ ही लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व बनाए रखता है।

3. **कार्यपालिका की शक्तियाँ और प्रशासनिक उत्तरदायित्व**

   अनुच्छेद 73 और 162 के तहत कार्यपालिका नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। मंत्री परिषद विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जो संसदीय जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता का आधार है।

4. **संविधान की व्याख्याकार के रूप में न्यायपालिका**

   न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 141) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226), यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कानून और कार्यपालिका के निर्णय संविधान के अनुरूप हों। यह संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।

5. **अंगों के बीच जाँच और संतुलन**

   हर अंग की विशिष्ट भूमिका होती है, परन्तु नियंत्रण के उपकरण भी होते हैं: विधायिका अविश्वास प्रस्ताव से, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा, और कार्यपालिका अध्यादेश शक्ति द्वारा संतुलन बनाती है। इससे संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है और शक्ति के केंद्रीकरण से बचाव होता है।

6. **अनुच्छेद 50 और नीति निदेशक तत्व**

   अनुच्छेद 50 विशेष रूप से निम्न न्यायपालिका में कार्यपालिका से पृथक्करण की सिफारिश करता है, जिससे जिला न्यायालयों और दंडाधिकारी व्यवस्था में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

7. **संतुलन बनाए रखने वाले ऐतिहासिक निर्णय**

   केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो इस संतुलन को बाधित करे, और इससे संवैधानिक अखंडता की रक्षा हुई।

## न्यायिक सक्रियता और संस्थागत संतुलन पर उसका प्रभाव

1. **लोकहित याचिका (PIL) एक साधन के रूप में**

   लोकहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालयों ने पर्यावरण, बंधुआ मजदूरी और हिरासत में हिंसा जैसे मुद्दों पर न्याय पहुँच को विस्तार दिया। यह न्यायिक सक्रियता सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की पूर्ति में कार्यपालिका की शून्यता को भरती है, जैसा कि एम.सी. मेहता के मामलों में देखा गया।

2. **सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या**

   उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) जैसे निर्णयों में न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में समाहित किया, जिससे RTE अधिनियम 2009 जैसे विधानों का मार्ग प्रशस्त हुआ, और संविधान की व्याख्या को व्यापक बनाया गया।

3. **विधायिका के अतिरेक पर नियंत्रण**

   मिनर्वा मिल्स (1980) और आई.आर. कोएल्हो (2007) मामलों में न्यायपालिका ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन के प्रयासों पर अंकुश लगाया, जिससे न्यायिक पुनरावलोकन और संवैधानिक नैतिकता की प्रधानता स्थापित हुई।

4. **न्यायिक अतिक्रमण के आरोप**

   आलोचकों का तर्क है कि अत्यधिक सक्रियता विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को कमज़ोर करती है, जैसा कि पटाखों पर प्रतिबंध, राजमार्गों पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध और BCCI सुधारों में न्यायिक निर्देशों के मामलों में देखा गया, जिससे न्यायिक अतिक्रमण की चिंता उत्पन्न होती है।

5. **कार्यपालिका के शून्य स्थान की पूर्ति**

   जब नीतिगत कार्रवाई नहीं की जाती, तब न्यायालयों ने पुलिस सुधार (प्रकाश सिंह मामला) और भीड़ हिंसा जैसे मामलों में निर्देश दिए, जिससे प्रशासनिक अंतराल भरने का प्रयास हुआ, परंतु इससे नीति क्षेत्र में हस्तक्षेप की आलोचना भी हुई।

6. **संसद की संप्रभुता पर प्रभाव**

   अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप विधायकों के उत्साह को कम कर सकता है, क्योंकि वे न्यायिक समीक्षा की आशंका में नीतियाँ बनाने से हिचकते हैं। यह विशेषकर धर्म, सामाजिक परंपराओं और पर्यावरणीय नियमन जैसे संवेदनशील विषयों पर संसद की संप्रभुता को प्रभावित करता है।

7. **संयम और संवाद द्वारा संतुलन**

   हाल के निर्णयों ने टकराव की बजाय संवैधानिक संवाद को प्राथमिकता दी है। नवतेज सिंह जौहर वाद (2018) में न्यायपालिका ने धारा 377 को अमान्य किया, परंतु समाज से स्वीकार्यता की अपील की, जिससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक सक्रियता को संस्थागत संघर्ष के बिना परिवर्तित संवैधानिकता में ढलना चाहिए।

**यद्यपि भारत में शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है, फिर भी तीनों अंगों की कार्यात्मक स्वतंत्रता और परस्पर जाँच ने लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रखा है। न्यायिक सक्रियता ने जहाँ एक ओर सुधार को प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर इसके अतिरेक पर आलोचना भी हुई है।** संतुलित और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण से ही भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ और उत्तरदायी बनाए रखा जा सकता है।

## 3. "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला हैं।" भारत में संवैधानिक और कानूनी ढाँचे के माध्यम से इसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है, इस पर चर्चा कीजिए तथा इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।

**मुक्त और निष्पक्ष चुनाव प्रतिनिधि लोकतंत्र की आधारशिला हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि जन-इच्छा वैध शासन में परिवर्तित हो। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ने स्वतंत्र संस्थाओं, चुनावी कानूनों और न्यायिक निगरानी के माध्यम से एक मजबूत संवैधानिक और कानूनी ढाँचा स्थापित किया है, हालाँकि संरचनात्मक और प्रचालनात्मक चुनौतियाँ इसकी पूर्ण प्राप्ति को अभी भी सीमित करती हैं।**

### मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

1. **अनुच्छेद 324 – भारत का स्वतंत्र निर्वाचन आयोग (ECI)**

   अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की निगरानी, दिशा और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसकी स्वतंत्रता चुनावों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।

2. **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**

   यह अधिनियम चुनावी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि उम्मीदवारों की पात्रता/अयोग्यता, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और चुनावी विवाद। यह पारदर्शी संचालन, दंडात्मक कार्रवाई और कानूनी उपचार के प्रावधानों के माध्यम से चुनावी अखंडता सुनिश्चित करता है।

3. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार – अनुच्छेद 326**

   संविधान 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के भेदभाव के मतदान का अधिकार प्रदान करता है। यह लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली में समावेशी भागीदारी और राजनीतिक समानता को सुदृढ़ करता है।

4. **निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अधिनियम**

   यह अधिनियम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, जिससे प्रत्येक वोट को समान महत्त्व मिलता है और क्षेत्रीय असमानताएँ दूर होती हैं। इससे "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत की रक्षा होती है।

5. **आदर्श आचार संहिता (MCC)**

हालाँकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनावी आचरण को निर्देशित करता है। यह नफरत फैलाने वाले भाषण, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी को रोकता है, और चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में सहायता करता है।

6. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) का उपयोग**

EVM और VVPAT का प्रयोग चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और गिनती की गति को बढ़ाता है, जिससे चुनावी धोखाधड़ी की संभावना घटती है और मतदाता का विश्वास सुदृढ़ होता है।

7. **न्यायिक पुनरावलोकन और चुनावी विवाद निवारण**

न्यायपालिका अनुच्छेद 329(b) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावी याचिकाओं की सुनवाई और असंवैधानिक गतिविधियों पर रोक के माध्यम से निगरानी का कार्य करती है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया संविधान और प्रक्रिया की निष्पक्षता के अनुरूप हो।

## चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक और प्रक्रियागत सीमाएँ

1. **आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन की कमी**

हालाँकि MCC चुनावी आचरण को नियंत्रित करता है, इसे वैधानिक बल प्राप्त नहीं है। उल्लंघन पर कठोर दंड की बजाय प्रतीकात्मक चेतावनी दी जाती है, जिससे यह शक्तिशाली राजनीतिक दुरुपयोग और ध्रुवीकरण की रणनीतियों को रोकने में अक्षम हो जाता है।

2. **धन और बाहुबल का उपयोग**

अघोषित धन, मत-खरीद और आपराधिक धमकी जैसे कारक चुनावों को प्रभावित करते हैं। खर्च की सीमा होने के बावजूद, इलेक्टोरल बॉन्ड और गुमनाम चंदे पारदर्शिता को कमज़ोर करते हैं, जिससे केवल अमीर प्रत्याशी और दल लाभान्वित होते हैं।

3. **राजनीति का अपराधीकरण**

बड़े स्तर पर जनप्रतिनिधि गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों के त्वरित निपटान का निर्देश दिया है, फिर भी राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देना जारी रखते हैं, जिससे चुनावी शुचिता और नैतिक शासन व्यवस्था को आघात पहुँचता है।

4. **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी**

अधिकांश राजनीतिक दल केंद्रीकृत 'हाई कमान' ढाँचे पर आधारित हैं, जहाँ उम्मीदवार चयन और आंतरिक चुनाव पारदर्शी नहीं होते। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की भावना कमज़ोर होती है और वंशवादी राजनीति को बढ़ावा मिलता है।

5. **झूठी सूचना और डिजिटल दुष्प्रचार**

सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, डीपफेक और आईटी सेल प्रचार चुनावी विमर्श को विकृत करते हैं। वर्तमान नियामक व्यवस्था इन पर अंकुश लगाने में विफल रही है, जिससे मतदाताओं की सूचित पसंद प्रभावित होती है।

6. **चुनाव सुधारों का विलंबित क्रियान्वयन**

विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट और इंद्रजीत गुप्ता समिति जैसी समितियों की अनुशंसाएँ—जैसे राज्य वित्त पोषण, एक साथ चुनाव और अपराधमुक्त राजनीति—आज भी लागू नहीं की गई हैं, जिससे स्वच्छ चुनावों की दिशा में प्रगति रुकी हुई है।

7. **निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक दबाव और पक्षपात के आरोप**

हालाँकि ECI एक संवैधानिक रूप से स्वायत्त संस्था है, फिर भी समय-समय पर पक्षपात और चुनाव कार्यक्रमों में असंतुलन के आरोप लगे हैं। आयोग की नियुक्ति की पारदर्शिता और कार्यात्मक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना इसकी साख बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

**भारत का संवैधानिक और कानूनी ढाँचा मुक्त और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करता है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी संस्थागत स्वतंत्रता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और नियामकीय सुधारों की आवश्यकता है।** लोकतंत्र को केवल प्रक्रियात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से सहभागी और नैतिक बनाने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और मतदाता जागरूकता को प्राथमिकता देना समय की माँग है।

**4. भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।**

**महिला अधिकारों की रक्षा हेतु भारत का वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW), NCW अधिनियम, 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह लैंगिक न्याय का प्रहरी बनकर कार्य करता है, जो नीति समीक्षा, विधिक हस्तक्षेप और जागरूकता अभियानों के माध्यम से समानता को बढ़ावा देता है।**

### महिला अधिकारों को सशक्त बनाने में NCW की संस्थागत भूमिका

1. **कानूनी संरक्षण की निगरानी और समीक्षा**

   NCW संविधान और कानूनों की समीक्षा करता है जो हिंसा, भेदभाव और समान अवसरों से संबंधित हैं। यह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम जैसे पुराने कानूनों में संशोधन की सिफारिश करता है, ताकि कानून समय के साथ बदलती लैंगिक चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी बने रहें।

2. **शिकायतों और शिकायत निवारण का प्रबंधन**

   घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज और संपत्ति विवादों से जुड़ी शिकायतों पर NCW कार्रवाई करता है। यह जांच और मध्यस्थता के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिनकी न्यायिक प्रणाली तक पहुँच सीमित है, और यह पीड़ितों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है।

3. **सार्वजनिक जागरूकता और लैंगिक संवेदनशीलता**

   NCW "She is a Changemaker" जैसे अभियान चलाता है और ग्रामीण तथा वंचित क्षेत्रों में कानूनी साक्षरता और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने हेतु कार्यशालाएँ और जागरूकता शिविर आयोजित करता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को अधिकार-आधारित दृष्टिकोण मिल सके।

4. **जांच और अनुसंधान संबंधी अधिकार**

   NCW को बलात्कार, जाति आधारित हिंसा और हिरासत में उत्पीड़न जैसे विशिष्ट घटनाक्रमों या प्रणालीगत लैंगिक मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने और जांच करने का अधिकार प्राप्त है। यह तथ्यान्वेषण रिपोर्टों और नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार को परामर्श देता है।

5. **नीति अधिवक्ता और सरकारी साझेदारी**

   NCW "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" जैसी सरकारी योजनाओं की समीक्षा करता है और जेंडर समावेशी बजटीकरण की सिफारिश करता है, ताकि सार्वजनिक नीति संविधान में वर्णित लैंगिक न्याय के अनुरूप हो सके।

6. **मानव तस्करी पीड़ितों के लिए सहयोग**

   महिला और बाल तस्करी के मामलों में NCW, NGO, पुलिस और सीमा पार एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। यह पीड़ितों के पुनर्वास कार्यक्रमों में सहायता करता है और क्रॉस-बॉर्डर तस्करी प्रोटोकॉल में सुधार की सिफारिश करता है।

7. **अंतर्राष्ट्रीय और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग**

   NCW संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women), एमनेस्टी इंटरनेशनल और स्थानीय NGO के साथ सहयोग करता है ताकि महिलाओं के अधिकारों की वैश्विक मान्यताओं (जैसे CEDAW) के अनुरूप भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके।

### NCW की संरचनात्मक और कार्यात्मक सीमाएँ

1. **कानूनी बाध्यता की कमी**

   NCW की सिफारिशें केवल परामर्शात्मक होती हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इससे इसकी क्षमता पर अंकुश लगता है और सरकारी संस्थानों को सुधार लागू करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी प्रभावशीलता कमज़ोर होती है।

2. **संवैधानिक दर्जे का अभाव**

   NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) जैसी संस्थाओं के विपरीत NCW को संविधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। इससे इसकी स्वायत्तता,

वित्तीय शक्ति और वैधानिक अधिकार सीमित रहते हैं और यह स्वतंत्र प्रहरी के रूप में प्रभावी नहीं हो पाता।

3. **न्यायिक और प्रवर्तन शक्तियों की कमी**

NCW किसी मामले में कानूनी आदेश पारित नहीं कर सकता या दंड नहीं दे सकता। यह अक्सर पुलिस या प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर करता है, जिससे न्याय में देरी या अनुपालन में कमी होती है।

4. **विविध पहचान का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व**

NCW को अक्सर दलित, आदिवासी, मुस्लिम और LGBTQ+ महिलाओं के मुद्दों को पर्याप्त प्राथमिकता न देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, जिससे लैंगिक न्याय की परिभाषा संकुचित हो जाती है और बहुआयामी असमानताओं की अनदेखी होती है।

5. **मामलों की देरी और लंबित शिकायतें**

शिकायतों की बढ़ती संख्या के बावजूद, स्टाफ की कमी, सीमित बजट और तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण कई मामले लंबित रहते हैं, जिससे समय पर समाधान नहीं हो पाता।

6. **राजनीतिकरण के आरोप**

NCW में नियुक्तियाँ अक्सर राजनीतिक मंशा से प्रेरित होती हैं, जिससे इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं। इससे यह संस्थान राज्य के कदाचार या संस्थागत भेदभाव के विरुद्ध प्रभावी चुनौती देने में कमज़ोर हो जाता है।

7. **विधायी मसौदा प्रक्रिया में सीमित भूमिका**

हालाँकि आयोग को विधायी सुधारों की सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन इसे विधायी निर्माण प्रक्रिया में शायद ही शामिल किया जाता है। ट्रिपल तलाक कानून या दंड संहिता संशोधन जैसे महत्त्वपूर्ण विधेयकों से इसकी अनुपस्थिति इसकी सीमित विधायी प्रभावशीलता को दर्शाती है।

**अत: राष्ट्रीय महिला आयोग महिला अधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी सीमित शक्तियाँ, संस्थागत दुर्बलता और प्रवर्तन क्षमता की कमी इसके प्रभाव को बाधित करती हैं। इसे संवैधानिक दर्जा देकर, इसकी स्वायत्तता बढ़ाकर और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर, NCW को भारत में लैंगिक न्याय का सशक्त और प्रभावी प्रहरी बनाया जा सकता है।**

## 5. "सूचना का अधिकार (RTI) केवल पारदर्शिता का उपकरण नहीं, बल्कि सहभागी लोकतंत्र का शस्त्र है।" इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

**सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी माँगने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। हालाँकि पारदर्शिता से परे, RTI एक लोकतांत्रिक साधन के रूप में कार्य करता है, जो नागरिक भागीदारी, ज़मीनी स्तर की सक्रियता और शासन की उत्तरदायित्वशीलता को सशक्त बनाता है, और इस प्रकार भारत में संवैधानिक नैतिकता पर आधारित एक जीवंत और सहभागी लोकतंत्र को पोषित करता है।**

### पारदर्शिता से आगे लोकतंत्र का उपकरण RTI

1. **नागरिकों को जानकार हितधारकों में बदलना**

RTI निष्क्रिय नागरिकों को सक्रिय भागीदारों में बदल देता है, जो सरकारी निर्णयों से सवाल कर सकते हैं। यह MGNREGA, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी योजनाओं को अधिक समावेशी और जवाबदेह बनाने में नागरिकों की भागीदारी को सक्षम बनाता है।

2. **ज़मीनी स्तर पर जवाबदेही का उत्प्रेरक**

RTI का उपयोग मध्याह्न भोजन योजना और NREGA जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए किया गया है। राजस्थान जैसे राज्यों में कार्यकर्ताओं ने RTI के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा की, जिससे अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए बाध्य किया गया।

3. **व्हिसलब्लोअर और सिविल सोसाइटी का समर्थन**

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) और अरुणा रॉय जैसे व्यक्तियों ने RTI का उपयोग प्रहरी तंत्र के रूप में किया है। यह शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और नौकरशाही उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए व्हिसलब्लोइंग की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।

4. **न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों को प्रोत्साहन**

RTI ने न्यायिक रिक्तियों, मामलों की देरी और प्रशासनिक अक्षमताओं को उजागर किया है, जिससे न्याय वितरण और शासन प्रणाली में सुधार की माँग बढ़ी है। यह सार्वजनिक निगरानी के माध्यम से प्रणालीगत सुधार को बढ़ावा देता है।

5. **विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत बनाना**

RTI पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की निगरानी में नागरिकों की मदद करता है, जिससे निधियों, निविदाओं और लाभार्थी सूचियों में पारदर्शिता बनी रहती है। यह 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के अनुरूप स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रोत्साहित करता है।

6. **वंचित समुदायों को सशक्त बनाना**

RTI ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को उनके हक की माँग करने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का साधन दिया है। भूमि, पेंशन या राशन जैसी सुविधाओं से संबंधित दस्तावेजों की पहुँच ने वंचित समुदायों को नीति क्रियान्वयन की निगरानी में सक्षम बनाया है।

7. **संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सुदृढ़ करना**

RTI सूचना तक पहुँच की सुविधा देकर अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को बल देता है। नागरिकों को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ मनमानी कार्यवाही या नीति उल्लंघनों को अदालत में चुनौती देने का अवसर प्राप्त होता है।

## RTI के क्रियान्वयन में संरचनात्मक और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ

1. **अपीलों की लंबितता और जानकारी में देरी**

देशभर के राज्य और केंद्रीय सूचना आयोगों में हजारों RTI अपीलें लंबित हैं, जिससे न्याय में देरी होती है। स्टाफ की कमी, प्रक्रिया की जटिलता और लालफीताशाही इस शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को घटाते हैं।

2. **संशोधनों और नियुक्तियों के माध्यम से क्षरण**

RTI संशोधन अधिनियम, 2019 ने सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन को बदल दिया, जिससे उनकी स्वतंत्रता कमज़ोर हुई। यह केंद्रीकरण संस्थागत स्वायत्तता को घटाता है और जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है।

3. **RTI कार्यकर्ताओं पर हमले और धमकियाँ**

RTI कार्यकर्ताओं को धमकियाँ, उत्पीड़न और कई बार हत्या का भी सामना करना पड़ा है। व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून जैसे रक्षात्मक तंत्र की अनुपस्थिति नागरिकों को RTI के माध्यम से उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार को उजागर करने से रोकती है।

4. **सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा गैर-अनुपालन**

कई सरकारी विभाग RTI अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जानकारी को स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित नहीं करते। केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में बार-बार उल्लंघन दर्शाए गए हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता कम होती है।

5. **जागरूकता की कमी और डिजिटल विभाजन**

ग्रामीण क्षेत्रों में कम साक्षरता, डिजिटल पहुँच की कमी और भाषाई अवरोध RTI के प्रभावी उपयोग में बाधा डालते हैं। महिलाएँ और वंचित समूह अक्सर सरकारी आंकड़ों तक पहुँच से वंचित रहते हैं, जिससे RTI की समावेशी क्षमता सीमित हो जाती है।

6. **न्यायिक अस्पष्टता और अपवाद**

कई न्यायिक निर्णयों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और न्यायपालिका जैसे प्रमुख कार्यालयों को RTI से बाहर कर दिया है। धारा 8 (अपवादों) की व्यापक व्याख्या नागरिकों की महत्त्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच को सीमित करती है।

7. **राजनीतिक प्रतिरोध और संस्थागत उदासीनता**

राजनीतिक कार्यपालिका अक्सर RTI को परेशानी पैदा करने वाला औज़ार मानती है और केवल प्रतीकात्मक अनुपालन करती है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, विशेषकर पार्टी फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे क्षेत्रों में, RTI की लोकतांत्रिक गहराई को सीमित

करती है।

**RTI, जिसे 'सनशाइन लॉ' कहा गया, भारत में लोकतांत्रिक भागीदारी को गहराई देने के लिए केन्द्रीय भूमिका निभाता है। इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना, आयोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिक जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि RTI सहभागी और नैतिक शासन का मजबूत स्तंभ बन सके।**

## 6. जन सेवा वितरण में व्याप्त रिक्तताओं को भरने में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका का मूल्याँकन कीजिए।

**गैर-सरकारी संगठन (NGOs) गैर-राज्यीय इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, जो सार्वजनिक सेवा वितरण में सहायता करते हैं, विशेषकर वहाँ जहाँ राज्य की क्षमता कमज़ोर होती है। ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए, ये संगठन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका और मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों का पूरक बनते हैं, और भारत की कल्याणकारी संरचना में शासन की कमी को पूरा करते हैं।**

### सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने में NGOs का योगदान

1. **दूरदराज के क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक पहुँच**

   SEWA और Pratham जैसे NGOs आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचते हैं, जो प्रायः राज्य सेवाओं से वंचित रहते हैं। वे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और कौशल विकास प्रदान करते हैं, जिससे बस्तर या उत्तर-पूर्व भारत जैसे क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए राज्य की नीतियाँ सुलभ होती हैं।

2. **स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी पहलों का समर्थन**

   केयर इंडिया और Médecins Sans Frontières (MSF) जैसे NGOs मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण कार्यक्रमों में सहायता करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने PPE आपूर्ति, जागरूकता अभियान और टेलीमेडिसिन में कमी पूरी की, जिससे एक अत्यधिक दबावग्रस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को राहत मिली।

3. **हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए शिक्षा का समर्थन**

   प्रथम और एकल विद्यालय जैसी संस्थाएँ दलित, आदिवासी और बालिकाओं को गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान करती हैं, जहाँ सरकारी विद्यालय निष्क्रिय हैं। इनके प्रयास सीखने के परिणामों में सुधार लाते हैं, साक्षरता को बढ़ावा देते हैं और ड्रॉपआउट्स को कम करते हैं, जो सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG-4) के अनुरूप है।

4. **आपदा राहत और मानवीय सहायता**

   NGOs बाढ़, भूकंप या महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, गूँज और सेवा इंटरनेशनल ने केरल की बाढ़ के समय आपातकालीन राहत और पुनर्वास प्रदान किया, जब सरकारी एजेंसियाँ सीमित संसाधनों के कारण जूझ रही थीं।

5. **महिला सशक्तिकरण और स्व-सहायता समूह (SHG) का प्रोत्साहन**

   NGOs महिला SHG का गठन और प्रशिक्षण करते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन, आजीविका और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण महिला उद्योग लिज्जत पापड़ जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि NGOs सूक्ष्म उद्यमों को कैसे समर्थन देकर महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को बढ़ाते हैं।

6. **पर्यावरण संरक्षण और नीति** समर्थन

   विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) जैसे संगठन पर्यावरण नीति को प्रभावित करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता फैलाते हैं और ज़मीनी स्तर पर सक्रियता करते हैं। इनका कार्य पर्यावरणीय शासन को मजबूत करता है, जहाँ सरकारी निगरानी और स्थानीय भागीदारी में कमी होती है।

7. **विधिक सहायता और अधिकार आधारित वकालत**

   CHRI (Commonwealth Human Rights Initiative) और PUCL जैसे NGOs कानूनी साक्षरता प्रदान करते हैं, पुलिस ज्यादतियों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जेल सुधार की वकालत करते हैं, जिससे वंचित समुदायों को संवैधानिक अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित होती है।

### भारत में NGOs को मिलने वाली संस्थागत और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ

1. **नियामक बाधाएँ और FCRA प्रतिबंध**

   विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) विदेशी निधियों पर कठोर शर्तें लगाता है, जिससे कई NGOs के लाइसेंस रद्द हो गए हैं। यह विशेष रूप से अधिकार आधारित या वकालत करने वाले संगठनों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है।

2. **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी**

   कुछ NGOs वित्तीय पारदर्शिता का पालन नहीं करते, जिससे उनकी विश्वसनीयता और प्रशासनिक नैतिकता पर सवाल उठते हैं। फंड के दुरुपयोग और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के आरोपों के कारण सार्वजनिक विश्वास कमज़ोर होता है, जिससे सशक्त लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है।

3. **दाता प्राथमिकताओं पर अत्यधिक निर्भरता**

   कई NGOs अपने कार्यक्रमों को दाताओं की प्राथमिकताओं के अनुसार बदलते हैं, जिससे उनका दीर्घकालिक प्रभाव कम हो जाता है। विदेशी दाताओं पर अत्यधिक निर्भरता कभी-कभी राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं से टकराव भी उत्पन्न करती है।

4. **विखंडन और समन्वय की कमी**

   NGO क्षेत्र अत्यधिक विखंडित है, जहाँ कई छोटे संगठन अलग-अलग काम करते हैं। इससे प्रयासों की पुनरावृत्ति, संसाधनों की अक्षमता और सफल मॉडलों की सीमित पहुँच होती है, जिससे सामूहिक प्रभाव कमज़ोर हो जाता है।

5. **कुशल मानव संसाधन की सीमाएँ**

   अधिकांश NGOs प्रशिक्षित स्टाफ की कमी से जूझते हैं, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में। तकनीकी संसाधनों, कानूनी ज्ञान और निगरानी उपकरणों की अनुपलब्धता उनकी सेवा वितरण और प्रभाव दस्तावेजीकरण की क्षमता को सीमित करती है।

6. **राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिरोध**

   राज्य के अधिकारी NGOs को हस्तक्षेप करने वाली इकाइयों के रूप में देखते हैं, जिससे उन्हें नौकरशाही उदासीनता या विरोध का सामना करना पड़ता है। इससे सहयोग में बाधा आती है, अनुमतियों में देरी होती है और परिचालन दक्षता प्रभावित होती है, विशेषकर अधिकार आधारित NGOs के लिए।

7. **कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी जोखिम**

   छत्तीसगढ़ या मणिपुर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में NGO कार्यकर्ताओं को उग्रवादी समूहों या स्थानीय प्रभुत्वशाली वर्गों से खतरे, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इससे वे कमज़ोर समुदायों तक पहुँच नहीं बना पाते, जिससे उनकी क्षेत्रीय कार्यक्षमता बाधित होती है।

**इस प्रकार, NGOs शासन अंतराल को पाटने, अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुँचाने और सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले महत्त्वपूर्ण गैर-राज्यीय अभिनेता हैं। एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण उन्हें समावेशी और जवाबदेह विकास के साझेदार के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगा।**

## 7. "सिविल सोसाइटी की परिवर्तनकारी शक्ति राज्य के साथ टकराव में नहीं, बल्कि शासन के सह-निर्माण में निहित है।" इस कथन पर चर्चा कीजिए।

**नागरिक समाज में वे सभी नागरिक, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), दबाव समूह और स्वैच्छिक संगठन शामिल होते हैं जो राज्य से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। हालाँकि आमतौर पर इसे विरोध या आंदोलन से जोड़ा जाता है, परंतु इसका वास्तविक परिवर्तनकारी सामर्थ्य राज्य के साथ साझेदारी में निहित है, जिससे समावेशी नीति निर्माण, सेवा वितरण और भागीदारी आधारित शासन की दिशा में प्रगति होती है।**

### विरोध नहीं, बल्कि भागीदारी के रूप में नागरिक समाज की भूमिका

1. **संस्थागत संवाद के माध्यम से भागीदारीपूर्ण शासन**

   बेंगलुरु में जनाग्रह (Janagraha) ने नगरपालिका निकायों के साथ मिलकर नागरिक बजट और शहरी उत्तरदायित्व को बेहतर किया। इससे स्पष्ट होता है कि सह-निर्माण (co-creation) सतत शासन परिणामों को जन्म देता है।

2. **स्वास्थ्य और शिक्षा में समुदाय आधारित निगरानी**

ASER सेंटर और प्रथम जैसे NGOs ग्रामीण विद्यालयों में सीखने के परिणाम और नीतियों के प्रभाव का मूल्याँकन करने के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनके इनपुट नीति सुधारों को डेटा-संचालित बनाते हैं और सेवा वितरण को सशक्त बनाते हैं।

3. **परामर्श आधारित विधिक सुधार**

घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017) जैसे कानूनों के निर्माण में जागोरी और द बैनियन जैसी संस्थाओं का परामर्शात्मक योगदान रहा है, जिससे कानूनी ढाँचे अधिक समावेशी और अधिकार आधारित बने हैं।

4. **आपदा राहत और संकटोत्तर पुनर्वास**

केरल बाढ़ (2018) और COVID-19 महामारी के दौरान गूँज (Goonj) और SEEDS जैसे संगठनों ने राज्य के साथ मिलकर राहत वितरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और जन जागरूकता में भागीदारी की, जो संकट प्रबंधन में सहकारी भूमिका को दर्शाता है।

5. **सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता**

आंध्र प्रदेश में MGNREGA के सामाजिक अंकेक्षण में नागरिक समूहों और स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी ने निधियों के उपयोग को पारदर्शी बनाया और जिम्मेदार ठहराए जाने की ज़मीनी व्यवस्था को मजबूत किया।

6. **जन शिकायत मंच और डिजिटल समावेशन**

CivicDataLab और RTI प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे नागरिक समाज मंच नागरिकों को सूचना प्राप्ति और शिकायत दर्ज करने के उपकरण प्रदान करते हैं, जो डिजिटल इंडिया और MyGov जैसे सरकारी प्रयासों के साथ समन्वय में काम करते हैं।

7. **पर्यावरणीय सह-शासन और जागरूकता**

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) जैसे संगठन प्रदूषण नियंत्रण नीतियों और पर्यावरणीय प्रभाव आकलनों में तकनीकी सहयोग देते हैं, जिससे नीति निर्माण की गहराई और पारिस्थितिक अखंडता बढ़ती है।

### नागरिक समाज जब रचनात्मक टकराव की भूमिका निभाता है

1. **सूचना का अधिकार (RTI) आंदोलन**

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा आरंभ किया गया यह आंदोलन पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग करता था। प्रारंभिक टकराव ने राज्य को RTI अधिनियम (2005) लागू करने के लिए बाध्य किया, जो लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में मील का पत्थर बना।

2. **अन्ना हज़ारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन (2011)**

हालाँकि यह आंदोलन टकरावात्मक था, परंतु इससे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) का जन्म हुआ। इसने यह सिद्ध किया कि जन आक्रोश राज्य को भ्रष्टाचार विरोधी ढाँचे अपनाने के लिए बाध्य कर सकता है।

3. **नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA)**

यह आंदोलन बड़े बाँधों के निर्माण का विरोध करता था, जिससे आदिवासी समुदायों का विस्थापन हो रहा था। यद्यपि राज्य ने अपने निर्णय को पूर्णतः नहीं बदला, परंतु इससे पुनर्वास नीतियों में परिवर्तन आया और वैश्विक ध्यान विकास परियोजनाओं पर केंद्रित हुआ।

4. **नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन और न्यायिक सक्रियता**

PUCL और PUDR जैसे संगठन पुलिस हिरासत में मौत, देशद्रोह कानूनों के दुरुपयोग और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) की ज्यादतियों को उजागर करते हैं। इनके प्रयासों से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस जवाबदेही के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

5. **पर्यावरणीय याचिकाएँ और नीतिगत पुनर्विचार**

मुंबई में 'सेव आरे' आंदोलन ने शहरी वनों की कटाई को चुनौती दी। इसके विरोध ने सरकार को परियोजना के सरेखण की समीक्षा के लिए बाध्य किया, जिससे नागरिक प्रतिरोध की पर्यावरणीय न्याय के क्षेत्र में भूमिका सिद्ध हुई।

6. **इंटरनेट स्वतंत्रता और निगरानी पर चिंता**

   आधार डेटा गोपनीयता पर नागरिक समाज के दबाव ने सर्वोच्च न्यायालय को 2018 में गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार की कानूनी टकरावात्मक सक्रियता ने संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की।

7. **लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान**

   निर्भया कांड (2012) के बाद महिलाओं के संगठनों के नेतृत्व में हुए जन आंदोलन ने जस्टिस वर्मा समिति और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 का निर्माण सुनिश्चित किया, जिससे यौन हिंसा पर कड़े कानून बने।

**इस प्रकार नागरिक समाज की सर्वश्रेष्ठ भूमिका तब होती है जब वह राज्य के साथ भागीदारी करके समावेशी, सहभागी और अधिकार आधारित शासन सुनिश्चित करता है। हालाँकि जब लोकतांत्रिक स्थान ख़तरे में होता है, तब सैद्धांतिक टकराव नीतिगत सुधार की दिशा को सही कर सकता है। नागरिक सहभागिता का संस्थानीकरण, सह-शासन को सशक्त करना और लोकतांत्रिक असहमति को संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित करना—यही नागरिक समाज का लक्ष्य होना चाहिए।**

## 8. "ई-गवर्नेंस में डिजिटल विभाजन को पाटने और भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है।" इस पर चर्चा कीजिए।

**ई-गवर्नेंस का तात्पर्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग से है, जो सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को बेहतर बनाता है। यह डिजिटल विभाजन को पाटने, सूचना विषमता को घटाने और वंचित आबादी को सशक्त करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाता है, जिससे भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में समावेशी, उत्तरदायी और जन-केंद्रित विकास को बढ़ावा मिलता है।**

### ई-गवर्नेंस की भूमिका: डिजिटल विभाजन को पाटने और समावेशी विकास को सशक्त करने में

1. **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: एक राष्ट्रीय एकीकरण मंच**

   डिजिटल इंडिया मिशन ने भारतनेट, उमंग और डिजिलॉकर जैसी परियोजनाओं के माध्यम से एकीकृत डिजिटल ढाँचा बनाया है, जिससे दूरदराज़ और उपेक्षित क्षेत्रों में भी डिजिटल संरचना पहुँची है। यह भौगोलिक बाधाओं से परे सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित कर समावेशिता की आधारशिला रखता है।

2. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और वित्तीय समावेशन**

   मनरेगा, पीएम-किसान और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के तहत आधार-लिंक्ड खातों में सब्सिडी सीधे स्थानांतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों और लीकेज की समस्या समाप्त होती है। यह महिलाओं, गरीबों और आदिवासी परिवारों को लक्षित सेवा डिलीवरी प्रदान करता है।

3. **डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच**

   ई-संजीवनी (टेलीमेडिसिन) और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) जैसे पहल ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आसान बनाते हैं। ई-हॉस्पिटल के ज़रिए नागरिक अपॉइंटमेंट, रिकॉर्ड और सलाह ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

4. **शिक्षा और कौशल विकास में ई-गवर्नेंस**

   स्वयं, दीक्षा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जैसे प्लेटफॉर्म विभिन्न भाषाई और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को मुफ्त पाठ्य सामग्री प्रदान करते हैं, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में।

5. **पारदर्शिता और शिकायत निवारण के माध्यम से नागरिक सशक्तिकरण**

   CPGRAMS, RTI पोर्टल और मायगव जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को शिकायत दर्ज करने, पारदर्शिता की माँग करने और नीति-निर्माण में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही सशक्त होती है।

6. **ग्रामीण उद्यमिता और बाज़ार पहुँच को बढ़ावा**

   ई-नाम और जेम जैसे पोर्टल किसानों, कारीगरों और लघु व्यापारियों को डिजिटल बाज़ार और सरकारी खरीद प्रणालियों तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण होता है।

7. **पंचायत डिजिटलीकरण और विकेंद्रीकृत शासन**

ई-ग्राम स्वराज और मिशन मोड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पंचायतों के रिकॉर्ड, वित्तीय ट्रैकिंग और योजना क्रियान्वयन का डिजिटलीकरण हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

### ई-गवर्नेंस की पूर्ण क्षमता को साकार करने में चुनौतियाँ

1. **डिजिटल साक्षरता और कौशल की कमी**

ग्रामीण भारत की बड़ी आबादी, विशेष रूप से महिलाएँ, वृद्ध और हाशिए पर मौजूद जातियाँ, डिजिटल साक्षरता की कमी से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पातीं। PMGDISHA जैसी योजनाओं के बावजूद, उपयोग कौशल की कमी एक बड़ी बाधा है।

2. **डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी अंतराल**

छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और झारखंड जैसे राज्यों में ब्रॉडबैंड और बिजली की अनुपलब्धता ई-सेवाओं को प्रभावित करती है। 4G और इंटरनेट पहुँच में शहरी-ग्रामीण अंतर डिजिटल समावेशन को बाधित करता है।

3. **भाषा और पहुँच संबंधी अवरोध**

ज्यादातर डिजिटल सामग्री अंग्रेजी-आधारित है और क्षेत्रीय भाषाओं में विकल्प सीमित हैं। दिव्यांग और भाषाई अल्पसंख्यकों को ये प्लेटफॉर्म समावेशी नहीं लगते, जिससे उनके लिए सेवाओं की पहुँच सीमित हो जाती है।

4. **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की चिंता**

प्रबल डेटा संरक्षण कानून की अनुपस्थिति में नागरिक पहचान चोरी, धोखाधड़ी और निगरानी का शिकार हो सकते हैं। इससे गोपनीयता, पारदर्शिता और जानकारी पर आत्म-निर्णय के अधिकार पर प्रश्न उठते हैं।

5. **संस्थागत क्षमता और नौकरशाही प्रतिरोध**

सरकारी कर्मचारियों को ICT प्रशिक्षण की कमी के कारण पोर्टलों का क्रियान्वयन कमज़ोर रहता है। पारदर्शिता के प्रति रुचि की कमी और पोर्टलों की निष्क्रियता उपयोगकर्ताओं को हतोत्साहित करती है।

6. **एकसमान दृष्टिकोण की सीमा**

शहरी डिज़ाइन को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के कारण, जैसे मोबाइल-केन्द्रित मॉडल जहाँ स्मार्टफोन नहीं हैं, नागरिक-केंद्रितता कम हो जाती है और उपयोगकर्ता संख्या घटती है।

7. **प्रतीकात्मकता और डेटा-आधारित बहिष्करण**

डिजिटलीकृत डेटा पर निर्भरता कभी-कभी कल्याणकारी सेवाओं से वंचन का कारण बनती है। आधार-लिंक्ड PDS में रिकॉर्ड की मामूली त्रुटियाँ गरीबों को ज़रूरी लाभ से वंचित कर देती हैं।

**निष्कर्षत:, ई-गवर्नेंस समावेशी विकास को बढ़ावा देने और डिजिटल खाई को पाटने में अत्यधिक संभावनाएं रखता है। लेकिन इसकी सफलता स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूलन, डिजिटल साक्षरता के प्रसार और अधिकार-आधारित कार्यान्वयन पर निर्भर है, जिससे इसे न्याय, समानता और सहभागी लोकतंत्र का सशक्त उपकरण बनाया जा सके।**

## 9. भारत-यूएई संबंधों का मूल्याँकन कीजिए जो लेन-देन आधारित आर्थिक संबंधों से आगे बढ़कर क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं।

**भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संबंध ऊर्जा व्यापार और श्रम आदान-प्रदान से विकसित होकर अब एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हो चुके हैं। यह परिवर्तन आर्थिक एकीकरण, रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर आधारित है, जिससे UAE भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ और उभरते बहुध्रुवीय वैश्विक संतुलन में एक प्रमुख भागीदार बन गया है।**

### आर्थिक लेन-देन से रणनीतिक तालमेल तक

1. **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), 2022**

भारत-UAE CEPA ने भारतीय निर्यात के 90% पर शुल्क हटा दिया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार $85 बिलियन से अधिक हो गया। इससे भारत को खाड़ी बाज़ारों तक पहुँच मिली, जबकि UAE को भारतीय बुनियादी ढाँचे में निवेश के अवसर मिले — यह मात्र लेन-देन आधारित व्यापार से गुणात्मक छलांग को दर्शाता है।

2. **रक्षा और सुरक्षा सहयोग**

डेज़र्ट फ्लैग जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, नौसेना सहयोग और रक्षा उद्योग सहयोग पर समझौता ज्ञापन, आतंकवाद, समुद्री डकैती और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में रणनीतिक समन्वय की दिशा में संकेत करते हैं।

3. **ऊर्जा विविधीकरण और संयुक्त उद्यम**

तेल आयात से परे, भारत ने UAE की तेल भंडार परियोजनाओं (ADNOC) में हिस्सेदारी ली है और UAE ने भारत की रणनीतिक तेल भंडारण परियोजनाओं में निवेश किया है। दोनों देश अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं (जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन) में भी सहयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कूटनीति को बढ़ावा मिलता है।

4. **डिजिटल और वित्तीय एकीकरण**

2023 में, भारत और UAE ने अपने-अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को जोड़ दिया, जिससे रीयल-टाइम सीमा-पार भुगतान संभव हो गया। इससे वित्तीय समावेशन, प्रेषण दक्षता और तकनीकी एकरूपता को बल मिला।

5. **सांस्कृतिक और प्रवासी कूटनीति**

UAE में 35 लाख से अधिक भारतीयों की उपस्थिति से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ जन-संपर्क बने हैं। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का निर्माण, UAE सरकार के समर्थन से, धार्मिक सहिष्णुता और भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का प्रतीक है।

6. **क्षेत्रीय स्थिरता में रणनीतिक समन्वय**

भारत और UAE मध्य-पूर्व सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति को लेकर सामंजस्य रखते हैं। UAE की IMEC (भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) और I2U2 (भारत-इज़राइल-UAE-USA) में भागीदारी क्षेत्रीय स्थिरता और कनेक्टिविटी की साझा दृष्टि को दर्शाती है।

7. **अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहयोग**

भारत का इसरो और UAE का मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह प्रक्षेपण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग करते हैं। इससे द्विपक्षीय संबंध उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विस्तृत हो रहे हैं।

## भारत-UAE संबंधों में वर्तमान चुनौतियाँ और अवरोध

1. **श्रमिक कल्याण और मानवाधिकार चिंताएँ**

COVID-19 के दौरान अनुबंध शोषण, सामाजिक सुरक्षा की कमी और प्रवासी श्रमिकों की मौतों जैसी समस्याएँ उजागर हुईं, जो भारतीय श्रमिकों के अधिकारों पर सवाल उठाती हैं। इस विषय पर संस्थागत उपायों और वाणिज्य दूतावास सहयोग की आवश्यकता है।

2. **धार्मिक संवेदनशीलता और घृणा भाषण**

कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा ऑनलाइन सांप्रदायिक टिप्पणियों से कूटनीतिक असहजता पैदा हुई। UAE की धार्मिक असहिष्णुता पर शून्य सहनशीलता की नीति ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशील बनाती है, जिससे सांस्कृतिक कूटनीति और नागरिक उत्तरदायित्व को बल देना आवश्यक हो जाता है।

3. **व्यापार असंतुलन और निर्भरता**

भारत, UAE के साथ व्यापार घाटा झेलता है, जो मुख्यतः हाइड्रोकार्बन आयात के कारण है। साथ ही, UAE पर पुनः निर्यात केंद्र और ऊर्जा के लिए अत्यधिक निर्भरता भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों या खाड़ी क्षेत्र की भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है।

4. **भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण और तृतीय-पक्ष दबाव**

UAE के पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते संबंध और भारत की इज़राइल और अमेरिका के साथ निकटता कभी-कभी रणनीतिक असहजता पैदा करती है। शक्ति संघर्ष के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कूटनीतिक कुशलता की आवश्यकता है।

5. **नियामक और निवेश अवरोध**

भारतीय व्यवसायों को UAE में वीज़ा, संपत्ति अधिकार और अनुबंध लागू करने में कठिनाइयाँ होती हैं। दूसरी ओर, UAE निवेशकों को भारत में नौकरशाही देरी, भूमि अधिग्रहण समस्याएँ और नियामक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे निवेश पर असर पड़ता है।

6. **समुद्री प्रतिस्पर्धा और बंदरगाह नियंत्रण**

दोनों देश चाबहार और जिबूती जैसे रणनीतिक बंदरगाहों पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। इन overlapping हितों से बंदरगाह विकास रणनीतियों में संभावित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है।

**निष्कर्षत:, भारत-UAE संबंध आज आर्थिक पूरकता, क्षेत्रीय संरेखण और सांस्कृतिक आत्मीयता पर आधारित एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्थागत संवाद को गहरा करना, प्रवासी कूटनीति को बढ़ावा देना और सतत एवं समावेशी सहयोग को अपनाना, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है।**

## 10. 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी के रूप में भारत-अमेरिका संबंधों की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इसमें निहित संरचनात्मक बाधाओं पर भी चर्चा कीजिए।

**भारत–अमेरिका संबंध एक रणनीतिक हिचकिचाहट की अवस्था से विकसित होकर अब एक व्यापक वैश्विक साझेदारी में परिवर्तित हो चुके हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक पूरकता और अभिसारी भू-राजनीतिक हितों पर आधारित है। जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति का केंद्र इंडो-पैसिफिक की ओर स्थानांतरित हो रहा है, दोनों राष्ट्र 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में स्वाभाविक सहयोगी के रूप में उभर रहे हैं।**

### 21वीं सदी में भारत–अमेरिका साझेदारी की रणनीतिक संभावनाएँ

1. **रक्षा और रणनीतिक सहयोग**

भारत और अमेरिका ने COMCASA, BECA और LEMOA जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी समझौते किए हैं, जो आपसी संचालनक्षमता और खुफिया साझाकरण को सक्षम बनाते हैं। युद्ध अभ्यास और मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए गहरे होते रणनीतिक तालमेल का संकेत देते हैं।

2. **आर्थिक और व्यापारिक संबंध**

2022 में द्विपक्षीय व्यापार $190 बिलियन को पार कर गया, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। यू एस-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) जैसी पहलें आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, प्रौद्योगिकी साझाकरण और निवेश साझेदारी को बढ़ावा देती हैं।

3. **तकनीकी और डिजिटल सहयोग**

2023 में शुरू की गई iCET (Initiative on Critical and Emerging Technologies) के तहत सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और रक्षा नवाचार पर सहयोग हो रहा है, जो भारत और अमेरिका को वैश्विक तकनीकी प्रगति का इंजन बना रहा है।

4. **जन-से-जन और शैक्षणिक संबंध**

45 लाख से अधिक भारतीय-अमेरिकी और 2.5 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में हैं, जिससे सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान द्विपक्षीय संबंधों की नींव बनता है। विश्वविद्यालय और थिंक टैंक बौद्धिक कूटनीति को सुदृढ़ करते हैं।

5. **ऊर्जा और जलवायु सहयोग**

अमेरिका-भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के माध्यम से अमेरिका भारत की ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया का समर्थन करता है। हरित हाइड्रोजन, सौर तकनीक और जलवायु वित्त जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है। दोनों देश क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप के सह-अध्यक्ष भी हैं।

6. **अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु सहयोग**

NASA और ISRO ने पृथ्वी अवलोकन के लिए NISAR उपग्रह जैसे संयुक्त मिशनों में सहयोग किया है। 123 समझौते के अंतर्गत अमेरिका भारत की NSG सदस्यता और नागरिक परमाणु व्यापार का समर्थन करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

7. **वैश्विक शासन और इंडो-पैसिफिक रणनीति**

दोनों देश मुक्त, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक का समर्थन करते हैं और चीन की आक्रामकता का विरोध करते हैं। Quad (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ बन चुका है, जो नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति साझा दृष्टिकोण को पुष्ट करता है।

### भारत–अमेरिका रणनीतिक अभिसरण की संरचनात्मक बाधाएँ

1. **रूस पर मतभेद और रणनीतिक स्वायत्तता**

रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत की तटस्थता और रूस पर रक्षा निर्भरता अमेरिकी अपेक्षाओं को चुनौती देती है। भारत बहु-संरेखण और रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करता है, जिससे अमेरिका के प्रतिबंधों और गठबंधनों के साथ टकराव की आशंका बनी रहती है।

2. **व्यापार संरक्षणवाद और WTO विवाद**

GSP लाभ की वापसी, कृषि और चिकित्सा उपकरणों पर शुल्क विवाद, और वीजा प्रतिबंध दोनों देशों के बीच मतभेद के क्षेत्र हैं। डाटा लोकलाइजेशन, डिजिटल टैक्स और WTO सुधारों पर मतभेद व्यापक व्यापार समझौते में बाधा डालते हैं।

3. **आव्रजन और H-1B वीजा अनिश्चितताएँ**

H-1B वीजा नियमों की कठोरता, ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा और नस्लीय भेदभाव के कारण भारतीय पेशेवरों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यह भारत के कुशल प्रवासी समुदाय को प्रभावित करता है, जो नवाचार और तकनीकी सहयोग में मुख्य भूमिका निभाता है।

4. **मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मतभेद**

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रेस की आज़ादी पर अमेरिका की समय-समय पर टिप्पणी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानी जाती है। यह विचारधारात्मक मतभेद कूटनीतिक असहजता उत्पन्न कर सकते हैं।

5. **नौकरशाही और संस्थागत देरी**

रक्षा खरीद, तकनीकी हस्तांतरण और वीज़ा सुविधा में नौकरशाही अड़चनें और केंद्र–राज्य स्तर पर समन्वय की कमी रणनीतिक कार्यान्वयन को धीमा कर देती है।

6. **महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर विश्वास की कमी**

iCET के बावजूद, तकनीकी हस्तांतरण धीमा है क्योंकि अमेरिका बौद्धिक संपदा संरक्षण, अंतिम उपयोग की निगरानी और भारत की डाटा संप्रभुता नीति पर चिंतित है, जिससे उन्नत रक्षा तकनीक और साइबर सुरक्षा में सहयोग सीमित रहता है।

7. **भू-राजनीतिक तनाव और तृतीय-पक्ष दबाव**

अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता और भारत–चीन सीमा तनाव रणनीतिक अवसर भी प्रदान करते हैं और जोखिम भी। ईरान और रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध कभी-कभी अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ असंगत हो जाते हैं, जिससे पश्चिम एशिया और यूरेशिया में नीति समन्वय कठिन हो जाता है।

**निष्कर्षतः, भारत–अमेरिका संबंधों में वैश्विक साझेदारी के सभी घटक — आर्थिक शक्ति, तकनीकी तालमेल, प्रवासी कूटनीति और साझा लोकतांत्रिक मूल्य मौजूद हैं। लेकिन रणनीतिक अभिसरण को संरचनात्मक असमानताओं और विश्वास की कमी पर काबू पाकर संस्थागत तंत्र, स्वायत्तता के सम्मान और पूरक क्षमताओं के समुचित उपयोग के माध्यम से सुदृढ़ करना होगा, जिससे नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को आकार दिया जा सके।**

**11. "राज्यपाल का पद एक निष्पक्ष संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में कल्पित है, फिर भी यह अक्सर केंद्र-राज्य तनाव का कारण बनता है।" हाल की घटनाओं के आलोक में भारत के संघीय ढाँचे में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।**

**राज्यपाल, अनुच्छेद 153 से 162 के तहत, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसका दायित्व केंद्र और राज्य के बीच सेतु की भूमिका निभाना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना होता है। हालाँकि, हाल के वर्षों में उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहार, विधेयकों को स्वीकृति देने में देरी और राज्य मामलों में हस्तक्षेप ने सहकारी संघवाद के क्षरण को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।**

### राज्यपाल के कारण केंद्र–राज्य तनाव की स्थिति

1. **विधेयकों की स्वीकृति में देरी**

   तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में राज्यपालों ने अनेक विधेयकों, जैसे कि तमिलनाडु का एंटी-नीट कानून, को स्वीकृति देने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ऐसी देरी को संविधान और विधायिका की सर्वोच्चता के विरुद्ध बताया, जो संघीय संतुलन के लिए ख़तरा है।

2. **सरकार गठन में विवादास्पद भूमिका**

   महाराष्ट्र (2019) में राज्यपाल ने मध्यरात्रि में अल्पमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को उजागर करता है।

3. **धन रोकना और कल्याण योजनाओं को अवरुद्ध करना**

   पश्चिम बंगाल में राज्यपाल पर MGNREGA जैसी योजनाओं में धन रोकने और राज्य की योजनाओं में हस्तक्षेप का आरोप लगा, जो कार्यपालिका के अतिक्रमण और केंद्र–राज्य टकराव को दर्शाता है।

4. **निर्वाचित सरकारों की सार्वजनिक आलोचना**

   पंजाब और केरल जैसे राज्यों में राज्यपालों ने सार्वजनिक रूप से सरकारों की आलोचना की, जिससे कार्यपालिका की द्वैधता उत्पन्न होती है और सहकारी संघवाद की भावना को ठेस पहुँचती है।

5. **विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार**

   राजस्थान (2020) में राज्यपाल ने राजनीतिक संकट के समय मंत्रिमंडल की सलाह के बावजूद विधानसभा सत्र बुलाने में देरी की। यह संवैधानिक निष्पक्षता और विधायी जिम्मेदारी पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

6. **राजनीतिक नियुक्तियाँ और निष्पक्षता की कमी**

   पूर्व नौकरशाहों और राजनेताओं की राज्यपाल पद पर बार-बार नियुक्तियाँ इस पद की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। विपक्ष शासित राज्यों में यह व्यवहार विशेष रूप से विवादास्पद रहता है।

7. **राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि मानना**

   पुंछी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल केंद्र के उपकरण की तरह कार्य करते हैं, जिससे राज्यों में असंतोष बढ़ता है और यह पद संवैधानिक प्रहरी के बजाय राजनीतिक प्रतिनिधि जैसा बन जाता है।

### राज्यपाल के रूप में केंद्र–राज्य सहयोग को बढ़ावा देना

1. **आपदा और महामारी प्रबंधन में मध्यस्थता**

   कोविड-19 के दौरान ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों में राज्यपालों ने केंद्रीय राहत एजेंसियों और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. **सांस्कृतिक और विकासात्मक योजनाओं का संवर्धन**

   सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में राज्यपालों ने आदिवासी विकास, शिक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण जैसे क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने में सकारात्मक भूमिका निभाई।

3. **आपातकालीन स्थितियों में संवैधानिक नैतिकता के संरक्षक**

   अरुणाचल प्रदेश (2016) और झारखंड (2022) में राज्यपालों ने विधेयकों की समीक्षा में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्दबाजी में सरकार भंग करने से परहेज़ किया।

4. **उच्च शिक्षा और संस्थागत शासन में सहयोग**

   केरल में डिजिटल शिक्षा और पश्चिम बंगाल में अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ राज्यपालों की चांसलर भूमिका द्वारा प्रारंभ की गईं, जो राज्य के शैक्षणिक सुधार में योगदान देती हैं।

5. **अंतर-राज्यीय विवादों में मध्यस्थता**

   तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जलविवादों और सीमाओं के मुद्दों पर राज्यपालों ने संवाद और समन्वय को बनाए रखा।

6. **अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी हितों के संरक्षक**

   पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपालों को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में उन्होंने PESA और FRA जैसे अधिनियमों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई।

## राज्यपाल की भूमिका में सुधार हेतु सिफारिशें और उपाय

1. **सरकारिया आयोग (1988)**

   राज्यपालों के लिए राजनैतिक रूप से निष्कलंक और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई। उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करने का सुझाव दिया गया ताकि राज्य स्तर पर स्वीकृति और तटस्थता बनी रहे।

2. **पुंछी आयोग (2010)**

   राज्यपालों के लिए पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल, विवेकाधीन शक्तियों की स्पष्ट परिभाषा और महाभियोग की प्रक्रिया की सिफारिश की गई। लटकती विधानसभाओं और अनुच्छेद 356 की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करने की माँग की गई।

3. **एस.आर. बोम्मई मामला (1994)**

   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 356 की सिफारिश मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। बहुमत का परीक्षण सदन में होना चाहिए, न कि राजभवन में।

4. **राज्यपाल की रिपोर्ट में पारदर्शिता**

   राजामन्नार समिति (1971) ने अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाली रिपोर्टों को सार्वजनिक और न्यायिक समीक्षा के अधीन बनाने की सिफारिश की।

5. **राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर न्यायिक निगरानी**

   सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार स्पष्ट किया है कि राज्यपाल के निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं, विशेष रूप से जब वे मंत्रिपरिषद् की सलाह को अस्वीकार करते हैं।

6. **राज्यपालों के लिए आचार संहिता**

   राज्यपालों के लिए एक औपचारिक आचार संहिता बनाई जानी चाहिए जिसमें राज्य सरकारों की सार्वजनिक आलोचना, मीडिया से व्यवहार और सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक भूमिका जैसे पहलुओं को विनियमित किया जाए।

7. **राष्ट्रीय सहमति और संस्थागत सुधार**

   राज्यपाल की भूमिका में सुधार के लिए सभी दलों की सहमति, संघीय संवेदनशीलता और अपारदर्शी नियुक्ति प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है ताकि राज्यपाल संवैधानिक निष्पक्षता के रक्षक बन सकें।

**निष्कर्षतः, राज्यपाल का पद जो संविधान में केंद्र और राज्य के बीच सेतु के रूप में कल्पित है, आज कई बार निष्पक्ष मध्यस्थ और राजनीतिक प्रतिनिधि के बीच झूलता प्रतीत होता है। सहकारी संघवाद की रक्षा हेतु आवश्यक है कि राज्यपाल की भूमिका में सुधार हो, उनकी तटस्थता सुनिश्चित हो और संवैधानिक उत्तरदायित्व को सशक्त किया जाए, ताकि यह पद लोकतांत्रिक संतुलन का रक्षक बन सके, विघ्नकारी नहीं।**

**12. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाने में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इनके समक्ष मौजूद चुनौतियों को दूर करने के उपाय सुझाइए।**

**73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992)** ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संस्थागत रूप प्रदान किया, जिससे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य था कि ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र, विकेन्द्रीकृत योजना और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सच्ची भावना को साकार किया जा सके।

### स्थानीय शासन पर 73वें और 74वें संशोधन का प्रभाव

1. **स्थानीय स्व-शासन को संवैधानिक मान्यता**

   इन संशोधनों ने अनुच्छेद 243 से 243ZG के अंतर्गत पंचायती राज और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे उन्हें कानूनी रूप से अनिवार्य संस्थाएँ बनाया गया। इससे उन्हें मनमाने ढंग से भंग करने से सुरक्षा मिली और भागीदारीपूर्ण शासन और नीचे से ऊपर तक विकास की प्रक्रिया को बल मिला।

2. **नियमित चुनाव और राजनीतिक सशक्तिकरण**

   राज्य चुनाव आयोगों की स्थापना की गई ताकि प्रत्येक पाँच वर्ष में नियमित चुनाव कराए जा सकें, जिससे ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक जवाबदेही बढ़ी। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी हाशिए के क्षेत्रों में मतदाता भागीदारी और जनजागरूकता में वृद्धि हुई।

3. **महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए आरक्षण**

   महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण और अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ने सत्ता संरचनाओं का लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित किया। बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाएँ सरपंच और महापौर बनीं, जिसने पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी।

4. **कार्यात्मक रूप से सत्ता का विकेन्द्रीकरण**

   ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में क्रमशः 29 और 18 विषयों की सूची दी गई जिन्हें स्थानीय निकायों को सौंपा जाना था। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं को सशक्त करने का खाका मिला, हालाँकि राज्यों द्वारा वास्तविक हस्तांतरण में भिन्नता देखी जाती है।

5. **जन-केंद्रित योजना और सामाजिक लेखा परीक्षा**

   स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDPs) और नगर विकास योजना (CDPs) तैयार कर सकते हैं और कार्यान्वित कर सकते हैं। MGNREGA जैसी योजनाओं में सामाजिक लेखा परीक्षाओं ने पारदर्शिता, स्थानीय जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया।

6. **नागरिक समाज की बढ़ती भागीदारी**

   इन संशोधनों ने NGOs, स्व-सहायता समूहों (SHGs) और स्थानीय सरकारों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित किया। केरल में कुदुंबश्री ने दिखाया कि संस्थागत समर्थन के माध्यम से महिलाएँ पंचायती विकास में कैसे नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं।

7. **नेतृत्व विकास का मंच**

   स्थानीय निकायों ने ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व को पोषित किया है, जो भविष्य के विधायक, सांसद और मंत्री बनते हैं। इसने गैर-विशेषाधिकार प्राप्त तबकों को राजनीति में प्रवेश का अवसर दिया, जिससे लोकतांत्रिक समावेशन और राजनीतिक समाजीकरण को बल मिला।

### स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के समक्ष संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियाँ

1. **कार्यों का अपूर्ण हस्तांतरण**

   अधिकांश राज्यों ने 29 या 18 विषयों का पूर्ण रूप से स्थानीय निकायों को हस्तांतरण नहीं किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर अभी भी राज्य का नियंत्रण है, जिससे स्थानीय निकायों की कार्यात्मक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।

2. **वित्तीय स्वायत्तता की कमी**

राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के बावजूद PRIs और ULBs को अनियमित और अपर्याप्त धन प्राप्त होता है। वे राज्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं और उनके पास कर लगाने या राजस्व उत्पन्न करने की सीमित शक्ति होती है।

3. **तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता की कमी**

स्थानीय निकायों के पास प्रशिक्षित कार्मिक, इंजीनियर, योजनाकार और IT अवसंरचना की भारी कमी है। व्यावसायिक सहायता की अनुपस्थिति से वे विकास योजनाएं तैयार करने, परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव करने में अक्षम हो जाते हैं।

4. **राज्य का नियंत्रण और राजनीतिक हस्तक्षेप**

पंचायतों का बार-बार निलंबन, धन रिलीज़ में देरी और ऊपर से नीचे की नौकरशाही प्रणाली स्थानीय स्वायत्तता को कमज़ोर करती है। कई राज्यों में स्थानीय प्रतिनिधि विधायकों और ज़िला कलेक्टरों के अधीन काम करते हैं, जिससे उनके निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित होती है।

5. **राज्य चुनाव आयोगों की कमज़ोरी**

भारत निर्वाचन आयोग के विपरीत, राज्य चुनाव आयोगों को संसाधनों की कमी, नियुक्ति में देरी और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे पंचायती और नगर निकाय चुनावों का समय पर आयोजन प्रभावित होता है।

6. **नागरिक भागीदारी और जागरूकता की कमी**

स्थानीय निकायों के लोगों के सबसे नजदीक होने के बावजूद, योजना या बजट निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सीमित रहती है। नागरिक अक्सर कार्यों, निधियों और अधिकारियों की जानकारी से वंचित रहते हैं, जिससे सामाजिक जवाबदेही कमज़ोर होती है।

7. **शहरी शासन का विखंडन**

शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों, विकास प्राधिकरणों और परास्टेटल एजेंसियों के बीच अधिकारों का अतिक्रमण होता है। इससे प्रशासनिक भ्रम, योजनागत पक्षाघात और सेवा वितरण में अक्षमता उत्पन्न होती है।

## स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए सिफारिशें

1. **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007)**

ARC ने कार्यों की स्पष्ट परिभाषा, क्षमतावर्धन कार्यक्रमों और प्रत्येक स्तर के लिए गतिविधि मानचित्रण की सिफारिश की। इसने शहरी क्षेत्रों में स्वायत्त योजना निकायों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

2. **पुंछी आयोग (2010)**

इस आयोग ने PRIs और ULBs की वित्तीय स्वतंत्रता पर बल दिया, प्रत्यक्ष फंड ट्रांसफर और राज्य वित्त आयोगों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की ताकि निधियों का पूर्वानुमेय वितरण सुनिश्चित हो सके।

3. **ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को सशक्त बनाना**

ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को नियमित बैठकों, डिजिटल इंटरफेस और निर्णय लेने की शक्तियों से सशक्त किया जाना चाहिए। इन्हें भागीदारी लोकतंत्र के स्तंभों के रूप में माना जाना चाहिए, न कि प्रतीकात्मक अभ्यास के रूप में।

4. **स्थानीय नौकरशाही का व्यावसायीकरण**

चुनावित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण और ग्रामीण विकास अधिकारियों या शहरी योजनाकारों जैसे समर्पित कैडरों की नियुक्ति से योजना और कार्यान्वयन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। केरल और कर्नाटक ने ऐसे कैडर आधारित समर्थन मॉडल का प्रयोग किया है।

5. **सशक्त राज्य वित्त आयोग**

SFCs को नियमित और बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए, साथ ही उनके लिए केंद्रीय दिशानिर्देश भी तय किए जाने चाहिए। उनकी सिफारिशों को विधानसभाओं में पेश किया जाए और अनुपालन पर निगरानी रखी जाए ताकि वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।

6. **स्थानीय निकायों में डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस**

   eGramSwaraj, स्मार्ट सिटी मिशन और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसी पहलों को पारदर्शिता, नागरिक प्रतिक्रिया और रीयल टाइम निगरानी को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए। डिजिटली रूप से सशक्त PRIs और ULBs प्रभावी और पारदर्शी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

7. **विधायी स्पष्टता और समान ढाँचा**

   एक आदर्श पंचायती राज और शहरी शासन अधिनियम राज्यों में कार्यों, जवाबदेही और सेवा मानकों को मानकीकृत करने में मदद कर सकता है, जबकि उसमें लचीलापन भी रहेगा। ऐसा मॉडल मनमाने राज्य हस्तक्षेप को कम करेगा और संवैधानिक एकरूपता सुनिश्चित करेगा।

**निष्कर्षत:, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने ज़मीनी लोकतंत्र की आधारशिला रखी है, लेकिन इनका परिवर्तनकारी प्रभाव अभी पूरी तरह साकार नहीं हुआ है। भारत के विकास का भविष्य सशक्त स्थानीय शासन में निहित है, जिसे कार्यात्मक स्पष्टता, वित्तीय स्थिरता और नागरिक सहभागिता के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकता है। इन अंतरालों को पाटकर ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को एक जीवंत और यथार्थ रूप में बदला जा सकता है, न कि केवल एक संवैधानिक आदर्श के रूप में।**

## 13. "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को बहु-विषयक और समग्र दृष्टिकोण से रूपांतरित करने का लक्ष्य रखती है।" इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित तंत्रों की विवेचना कीजिए।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020**, जो कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित है, भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक बुनियादी बदलाव का संकेत देती है। यह एक लचीले, बहु-विषयक और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है। यह एक शिक्षार्थी-केंद्रित मॉडल की परिकल्पना करती है, जिसमें अकादमिक लचीलापन, अनुसंधान उन्मुखता और संस्थागत स्वायत्तता का समावेश है, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान महाशक्ति में बदलना है।

### NEP 2020 बहु-विषयक और समग्र उच्च शिक्षा को बढ़ावा देती है

1. **बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERUs)**

   NEP 2020 वैश्विक मानकों पर आधारित MERUs की स्थापना का प्रस्ताव देती है, जो एक ही छत के नीचे विविध पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे, जिसमें विज्ञान, कला और व्यावसायिक विषय एकीकृत होंगे, जिससे अकादमिक गतिशीलता और अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।

2. **लचीला चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम**

   नीति एक लचीली 3 या 4 वर्षीय स्नातक संरचना की सिफारिश करती है जिसमें बहु-प्रवेश और निकास विकल्प होंगे और क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा 'अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC)' के माध्यम से दी जाएगी। यह संरचना बहु-विषयकता, रोज़गारयोग्यता और जीवन भर के सीखने को समर्थन देती है।

3. **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना**

   NRF का प्रस्ताव उच्च गुणवत्ता वाले अंत:विषयक अनुसंधान को वित्तपोषित और समन्वित करना है, जिससे नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिले। यह अनुसंधान को अभिजात्य संस्थानों से आगे ले जाकर लोकतांत्रिक रूप में वितरित करने का लक्ष्य रखती है।

4. **व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा का एकीकरण**

   NEP व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक शिक्षा के साथ मिश्रित करने को बढ़ावा देती है, जिससे समग्र विकास सुनिश्चित हो और पाठ्यक्रम उद्योग तथा बाज़ार की माँगों के अनुरूप हो जाए, जिससे व्यावहारिक प्रासंगिकता और रोज़गारयोग्यता बढ़े।

5. **बहु-प्रवेश और निकास के साथ प्रमाणन**

   छात्र 1, 2 या 3 वर्षों के बाद क्रमशः प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री के साथ पाठ्यक्रम छोड़ सकते हैं। यह अकादमिक लचीलापन प्रदान करता है, ड्रॉपआउट दर को कम करता है और सामाजिक-आर्थिक विविधताओं को समायोजित करता है।

6. **साझा उच्च शिक्षा नियामक ढाँचा**

HECI (हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया) की स्थापना के प्रस्ताव में NHERC, NAC, HEGC और GEC जैसे वर्टिकल्स शामिल हैं, जो मानक निर्धारण, प्रत्यायन, वित्तपोषण और पाठ्यक्रम को नियंत्रित करेंगे। इससे नौकरशाही दोहराव कम होगा और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

7. **भारतीय ज्ञान प्रणाली और भाषाओं पर ध्यान**

नीति भारतीय भाषाओं, कलाओं और सांस्कृतिक ज्ञान को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में शामिल करती है, जिससे शिक्षा को सन्दर्भगत, सांस्कृतिक रूप से आधारित और विविध भाषायी जनसंख्या के लिए सुलभ बनाया जा सके, जिससे समग्र अधिगम को बल मिले।

## भारत में उच्च शिक्षा की संरचनात्मक और प्रचालनात्मक चुनौतियाँ

1. **खंडित और कठोर संस्थागत ढाँचा**

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में विषयगत विभाजन, संस्थानों के बीच सीमित गतिशीलता और अंतर्विषयकता की कमी है, जिसे NEP दूर करना चाहती है, लेकिन पारंपरिक विश्वविद्यालयों में इसका विरोध संभव है।

2. **संकाय की कमी और गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ**

सरकारी विश्वविद्यालयों में पद रिक्त हैं, शिक्षक-छात्र अनुपात कम है और शिक्षकों में अनुसंधान उन्मुखता की कमी है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। भर्ती में देरी और प्रशिक्षण की कमी से शिक्षण-सीखने का अंतर और बढ़ता है।

3. **अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की कमी**

भारत का अनुसंधान उत्पादन सीमित और कम वित्तपोषित है। खंडित वित्तपोषण, उद्योग-अकादमी सहयोग की कमी और नवाचार की कमज़ोर श्रृंखला NRF के विज़न को साकार करने में बाधा बनती है।

4. **डिजिटल विभाजन और पहुँच असमानता**

ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्र ऑनलाइन संसाधनों तक पहुँच में बाधा का सामना करते हैं। जबकि डिजिटल शिक्षा NEP की प्रमुख विशेषता है, लेकिन बुनियादी ढाँचे और उपकरणों तक पहुँच अभी भी चुनौती है।

5. **अति-नियमन और स्वायत्तता की कमी**

NEP की अकादमिक स्वायत्तता पर बल के बावजूद, कई संस्थान केंद्रीकृत निर्णय-निर्माण, पुराने पाठ्यक्रम और राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त हैं, जिससे नवाचार और प्रतिक्रिया क्षमता सीमित होती है।

6. **विश्वविद्यालयों पर संबद्धता का बोझ**

सैकड़ों कॉलेजों से संबद्ध सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर अत्यधिक बोझ है, जिससे अकादमिक मानक प्रभावित होते हैं और अनुसंधान व संकाय विकास पर ध्यान कम हो जाता है। NEP द्वारा प्रस्तावित स्वायत्त डिग्री कॉलेजों की अवधारणा अभी तक पूर्णतः लागू नहीं हुई है।

7. **रोज़गारयोग्यता और पाठ्यक्रम अंतर**

पुराने पाठ्यक्रम और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण की कमी से छात्रों की रोज़गारयोग्यता घटती है। उद्योग को अक्सर स्नातक व्यावहारिक भूमिकाओं के लिए तैयार नहीं लगते, जिससे शिक्षा और बाज़ार की माँग के बीच अंतर स्पष्ट होता है।

## NEP 2020 का महत्त्व

1. **अंतर्विषयक शिक्षा और लचीलापन बढ़ाता है**

NEP विषयगत विभाजनों को समाप्त कर छात्रों को विज्ञान के साथ मानविकी या इंजीनियरिंग के साथ कला का संयोजन करने की अनुमति देता है, जिससे भारत की शिक्षा वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप बनती है।

2. **21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा**

यह नीति समालोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, डिजिटल साक्षरता और समस्या-समाधान पर बल देती है, जिससे छात्र चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार हो सकें और गतिशील नौकरी बाजारों में सफल हो सकें।

3. **तकनीक और लचीलापन के माध्यम से पहुँच को लोकतांत्रिक बनाता है**

   डिजिटल पहलों और क्रेडिट पोर्टेबिलिटी के साथ NEP यह सुनिश्चित करती है कि कामकाजी पेशेवर, ड्रॉपआउट और गैर-पारंपरिक शिक्षार्थी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिससे प्रणाली समावेशी और जीवनपर्यंत बनती है।

4. **भारतीय संस्थानों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है**

   MERUs और NRF के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालय अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अकादमिक उत्कृष्टता के माध्यम से वैश्विक रैंकिंग में प्रवेश पा सकेंगे, जो 'विश्वगुरु भारत' की परिकल्पना की ओर कदम है।

5. **स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करता है**

   क्षेत्रीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने से भाषायी समावेशन बढ़ता है, सांस्कृतिक संरक्षण होता है और आधुनिक शिक्षण में भारत की सभ्यतागत पहचान को मजबूती मिलती है।

6. **संस्थागत स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है**

   ग्रेडेड स्वायत्तता पर बल देने से संस्थान नवाचारी पाठ्यक्रम बना सकते हैं, उद्योग से साझेदारी कर सकते हैं और नौकरशाही हस्तक्षेप के बिना उत्कृष्टता का पीछा कर सकते हैं, जिससे अकादमिक स्वतंत्रता बढ़ती है।

7. **शिक्षक की भूमिका को मार्गदर्शक में परिवर्तित करता है**

   NEP शिक्षक को केवल सूचना प्रदाता से मार्गदर्शक बनाता है, जिसमें सतत पेशेवर विकास, सहकर्मी से सीखना और अनुसंधान-आधारित शिक्षण पर बल दिया गया है, जो शैक्षिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य है।

**इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी रोडमैप प्रदान करती है जो उच्च शिक्षा को एक समावेशी, गतिशील और बहु-विषयक प्रणाली में पुनः संरचित करती है। विज़न और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटना भारत की शिक्षा प्रणाली को वास्तव में भविष्य-उन्मुख और SDG 4 के अनुरूप समानतापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है।**

## 14. भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में आयुष्मान भारत को एक महत्त्वपूर्ण कदम माना गया है। इसकी महत्ता और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

**आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)**, जो 2018 में शुरू की गई थी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कैशलेस द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह चयनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं से व्यापक पहुँच की ओर एक बदलाव को दर्शाती है, जिसमें बीमा कवरेज को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण के साथ जोड़ा गया है।

### UHC की दिशा में एक मील का पत्थर: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

1. **विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना**

   PM-JAY का लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक कमज़ोर परिवारों को कवर करना है, जिसमें प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹5 लाख की कवरेज प्रदान की जाती है। सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस और पोर्टेबल सेवाओं के माध्यम से यह समानता सुनिश्चित करती है और UHC की नींव रखती है।

2. **द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान**

   यह योजना हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर उपचार और अस्थि रोग जैसी जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिससे गंभीर बीमारी में होने वाले खर्च का बोझ घटता है और गरीब परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ती है।

3. **पेपरलेस, कैशलेस और पोर्टेबल सेवाएं**

   मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, PM-JAY अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है, जिससे लाभार्थी भारत में कहीं भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रवासी मजदूरों की पहुँच को बढ़ाता है और सेवा वितरण को सहज बनाता है।

4. **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के साथ समन्वय**

   आयुष्मान भारत रोकथाम और उपचार दोनों को एकीकृत करता है। जबकि HWCs व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित हैं, PM-JAY अस्पताल में भर्ती की जरूरतों को पूरा करता है, जिससे WHO के UHC लक्ष्यों के अनुरूप एक सतत देखभाल मॉडल बनता है।

5. **सेवा वितरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी**

PM-JAY सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों को सूचीबद्ध करता है, जिससे सेवा उपलब्धता का विस्तार होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे भौगोलिक असमानताओं और प्रतीक्षा समय को कम किया जा सके।

6. **प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यान्वयन**

यह योजना आधार-आधारित पहचान, रियल टाइम क्लेम प्रोसेसिंग और धोखाधड़ी विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग करती है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और लक्षित सेवा वितरण सुनिश्चित होता है, और यह 'डिजिटल इंडिया' ढाँचे के अनुरूप है।

## जन स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय में PM-JAY का महत्त्व

1. **जेब से खर्च (OOPE) को कम करता है**

भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च का 50% से अधिक OOPE होता है। PM-JAY बीमारी के समय वित्तीय अस्थिरता को कम करता है, जिससे चिकित्सा जनवित्तीयता रोकी जाती है और आर्थिक लचीलापन बढ़ता है, विशेष रूप से BPL और असंगठित क्षेत्र के परिवारों के लिए।

2. **हाशिए पर पड़े और कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाता है**

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को लक्षित करती है, जिससे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा मिलता है और SDG-3 'अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण' को साकार करती है।

3. **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में विश्वास को बढ़ावा देता है**

सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने से रोगियों की संख्या बढ़ती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बनता है, जिससे पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे का उन्नयन होता है।

4. **रोज़गार और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है**

इस योजना ने नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीमा क्षेत्रों में रोज़गार सृजन को बढ़ावा दिया है। यह टियर-2 और टियर-3 शहरों में निजी निवेश को भी प्रेरित करता है, जिससे शहरी–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा विभाजन कम होता है।

5. **डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का उत्प्रेरक**

PM-JAY राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करता है, जिससे डेटा-आधारित स्वास्थ्य प्रशासन, टेलीमेडिसिन और एआई-आधारित निदान को समर्थन मिलता है।

6. **लिंग आधारित बाधाओं को कम करता है**

47% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं और यह योजना मातृत्व और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करती है। यह महिलाओं को समय पर उपचार प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे आर्थिक निर्भरता कम होती है और लैंगिक संवेदनशील स्वास्थ्य पहुँच को मजबूती मिलती है।

7. **वैश्विक दक्षिण में स्वास्थ्य सुधार का मॉडल**

PM-JAY को विकासशील देशों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा के लिए एक किफायती और स्केलेबल मॉडल के रूप में अध्ययन किया जा रहा है, जिससे भारत को सस्ती स्वास्थ्य नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में मान्यता मिलती है।

## PM-JAY की सीमाएँ और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

1. **बाह्य रोगी (OPD) और निवारक देखभाल की उपेक्षा**

PM-JAY केवल अस्पताल में भर्ती उपचार को कवर करता है, जबकि बाह्य रोगी देखभाल OOPE का एक बड़ा हिस्सा है। इससे इसकी व्यापक UHC कवरेज देने की क्षमता सीमित हो जाती है।

2. **लाभार्थियों में जागरूकता की कमी**

कई पात्र परिवार अपने अधिकारों से अनजान हैं क्योंकि IEC (सूचना, शिक्षा, संचार) प्रयास कमज़ोर हैं। इससे विशेष रूप से दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में योजना की उपयोगिता कम होती है।

3. **राज्यों में कार्यान्वयन में भिन्नता**

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए कार्यान्वयन में व्यापक अंतर है। कुछ राज्यों ने इसे अपनी मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकृत किया है, जबकि अन्य अस्पताल सूचीकरण, आईटी अपनाने और दावे निपटान में पिछड़ रहे हैं।

4. **ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों की कम सूचीबद्धता**

हालाँकि सेवा वितरण में निजी अस्पतालों की भागीदारी अधिक है, लेकिन ग्रामीण भारत में उनकी पहुँच सीमित है। कम प्रतिपूर्ति दरों और नियामकीय अड़चनों के कारण निजी संस्थाएं भाग लेने से हिचकिचाती हैं।

5. **धोखाधड़ी और अधिक बिलिंग की आशंका**

डिजिटल सुरक्षा उपायों के बावजूद, डुप्लीकेट दावों, नकली लाभार्थियों और अनावश्यक प्रक्रियाओं के मामले सामने आए हैं। बिना मजबूत ऑडिटिंग और फील्ड सत्यापन के, योजना में लागत बढ़ने और दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

6. **गैर-गरीब आबादी की उपेक्षा**

PM-JAY या ESI/CGHS से बाहर मध्यवर्गीय परिवार स्वास्थ्य संकटों के प्रति असुरक्षित रहते हैं। इस खंड को कवर करने के लिए टियर-आधारित स्वास्थ्य वित्तपोषण की आवश्यकता है।

7. **निगरानी और मूल्याँकन की कमी**

हालाँकि रियल टाइम डेटा डैशबोर्ड उपलब्ध हैं, लेकिन स्वास्थ्य परिणामों, सेवा गुणवत्ता और रुग्णता में कमी पर प्रभाव मूल्याँकन सीमित है। स्वास्थ्य समानता ऑडिट की अनुपस्थिति नीति निर्माण में अंधे क्षेत्रों को जन्म दे सकती है।

**PM-JAY भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की यात्रा में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है, जो वित्तीय सुरक्षा, डिजिटल शासन और समानता आधारित सेवा वितरण को एकीकृत करता है। एक समग्र, स्तरीकृत और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल ढाँचा भारत को स्वस्थ और लचीला राष्ट्र बनाने और सतत विकास लक्ष्य 3 प्राप्त करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा।**

## 15. "सतत विकास का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है।" सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए भारत की नीति उपायों और संस्थागत ढाँचे की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

**सतत विकास**, जैसा कि 2030 एजेंडा में परिभाषित किया गया है, आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के एकीकरण की माँग करता है। भारत, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का हस्ताक्षरकर्ता है, ने जलवायु कार्रवाई, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास पर केंद्रित कई नीति ढाँचे और शासन सुधार प्रारंभ किए हैं, जो संघीय समन्वय और ज़मीनी कार्यान्वयन के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं।

### भारत में SDGs को प्राप्त करने के लिए नीति और संस्थागत ढाँचा

1. **नीति आयोग: समन्वय की नोडल एजेंसी**

नीति आयोग एसडीजी स्थानीयकरण की अगुवाई करता है और इंडेक्स-आधारित रैंकिंग के माध्यम से राज्यों की नीतियों को वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है। यह प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है, SDG इंडिया इंडेक्स के माध्यम से प्रगति को ट्रैक करता है और राष्ट्रीय योजनाओं में SDGs का एकीकरण सुनिश्चित करता है।

2. **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC)**

NAPCC मिशनों जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, जल मिशन और सतत कृषि मिशन के माध्यम से SDG 7, 13 और 15 को संबोधित करता है। यह एक निम्न-कार्बन विकास रणनीति अपनाता है जो विकास में जलवायु लचीलापन को एकीकृत करता है।

3. **जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान**

जल जीवन मिशन (SDG 6) सभी घरों में पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित करता है, जबकि स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता कवरेज बढ़ाई है, जिससे जलजनित बीमारियों में कमी और ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और गरिमा सुनिश्चित हुई है।

4. **प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना**

PMAY (सभी के लिए आवास) और उज्ज्वला योजना (स्वच्छ रसोई ईंधन) SDG 1, 3, 7 और 11 से संबंधित हैं। ये योजनाएं समावेशी शहरी विकास, लैंगिक सशक्तिकरण और ऊर्जा पहुँच को बढ़ावा देती हैं।

5. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020**

NEP 2020 SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के अनुरूप है, जो समता, डिजिटल साक्षरता और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह आजीवन शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित करता है।

6. **ई-गवर्नेंस और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)**

आधार-लिंक्ड DBT, जन–धन–आधार–मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी और UMANG प्लेटफ़ॉर्म जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से पारदर्शिता, सेवा वितरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाता है, जो SDG 16 और 17 को संस्थागत विश्वास और सुशासन के माध्यम से पूरा करते हैं।

7. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तीय तंत्र**

भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) का समर्थन करता है और COP26 में 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य घोषित कर चुका है। ग्रीन बॉन्ड्स, CSR अनिवार्यता और SDG-अनुकूल बजट टैगिंग के माध्यम से भारत वैश्विक पर्यावरण प्रतिबद्धताओं को घरेलू नीति में एकीकृत करता है।

## सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भारत के सामने मुख्य चुनौतियाँ

1. **राज्यों के बीच असमान प्रगति और संस्थागत कमज़ोरियाँ**

केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्य संस्थागत कमज़ोरियों, डेटा ट्रैकिंग की कमी और राजनीतिक प्राथमिकता के अभाव के कारण पिछड़ रहे हैं। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ने का ख़तरा है।

2. **खंडित नीति कार्यान्वयन और अतिक्रमण**

विभिन्न मंत्रालयों के बीच लक्ष्यों में अतिक्रमण और समन्वय की कमी संसाधनों के दोहराव और बेकार प्रयोग का कारण बनती है, जिससे एकीकृत विकास बाधित होता है।

3. **वित्तीय बाधाएं और केंद्र पर निर्भरता**

स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों के पास वित्तीय स्वायत्तता की कमी है। कर वितरण में देरी, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन न होना और राजस्व सृजन की सीमाएं विकेन्द्रित योजना में बाधा बनती हैं।

4. **पर्यावरणीय क्षरण और नियामक शिथिलता**

तेजी से शहरीकरण, वनों की कटाई और पर्यावरण प्रभाव मूल्याँकन (EIA) मानदंडों के कमज़ोर प्रवर्तन से SDG 13 और 15 पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं पर असर पड़ता है।

5. **लैंगिक और सामाजिक असमानताएँ**

कल्याण योजनाओं के बावजूद, महिला श्रम भागीदारी, लिंग आधारित हिंसा और डिजिटल असमानता अभी भी चिंताजनक हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों को संरचनात्मक बहिष्करण का सामना करना पड़ता है, जिससे SDG 5 और 10 की उपलब्धि सीमित हो जाती है।

6. **डेटा की कमी और निगरानी संबंधी समस्याएँ**

जिला और ब्लॉक स्तर पर अद्यतन, उच्च गुणवत्ता और पृथक डेटा की कमी के कारण योजनाओं की प्रभावी निगरानी और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण बाधित होता है।

7. **जलवायु जोखिम और प्राकृतिक आपदाएँ**

भारत बाढ़, गर्मी की लहरों और चक्रवात जैसी जलवायु आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढाँचे में प्राप्त लाभ खतरे में पड़ जाते हैं।

### सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे की दिशा

1. **स्थानीय शासन और विकेन्द्रित योजना को सशक्त करना**

   पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को योजना निर्माण, डिजिटल टूल्स और वित्तीय सहायता से सशक्त करना आवश्यक है। जिला स्तर पर SDG डैशबोर्ड की स्थापना से निगरानी को स्थानीय स्तर तक ले जाया जा सकता है।

2. **वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग (SFC) का SDGs के साथ संरेखण**

   केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों को फंड वितरण को SDG प्रदर्शन से जोड़ना चाहिए। आउटपुट आधारित बजटिंग को अपनाना होगा जिससे राज्य और जिले मानव और पर्यावरणीय विकास को प्राथमिकता दें।

3. **क्षमताओं का निर्माण और संस्थागत समन्वय**

   ब्यूरोक्रेट्स, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), NGOs और ज़मीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना ज़रूरी है। मिशन मोड में समन्वय इकाइयाँ ज़िले और राज्य स्तर पर गठित की जानी चाहिए।

4. **सतत शहरी विकास और परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल**

   शहरी निकायों को सशक्त करना, वेस्ट-टू-वेल्थ पहलों को बढ़ावा देना और ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रोत्साहित करना SDG 11 और 12 की दिशा में सहायक होगा। संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है।

5. **तकनीकी नवाचार और डेटा आधारित शासन**

   AI, GIS आधारित योजना और रीयल-टाइम डेटा प्लेटफॉर्म में निवेश निगरानी को बेहतर करेगा। 'इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी' और SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 जैसे पहल सभी क्षेत्रों में दोहराए जाने चाहिए।

6. **जलवायु-संवेदनशील बुनियादी ढाँचा और ग्रीन फाइनेंसिंग**

   ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि और आपदा-प्रतिरोधी आवास में निवेश को SDG अनुपालन मापदंडों से जोड़ना होगा।

7. **अंतर्राष्ट्रीय समीक्षाओं से प्राप्त सुझावों को अपनाना**

   भारत को स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाओं (VNRs) से मिले सुझावों को अपनाना चाहिए और UN के HLPF मंच से संरेखण सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे पारदर्शिता और वैश्विक सहयोग को बल मिले।

भारत ने सतत विकास को अपने विकास ढाँचे में एकीकृत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2030 तक SDGs को प्राप्त करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, वित्तीय नवाचार और समुदाय आधारित सशक्तिकरण की आवश्यकता है। एक लचीला, समावेशी और उत्तरदायी शासन मॉडल ही जन-केंद्रित और पर्यावरण-संवेदनशील विकास को सुनिश्चित कर सकता है।

## 16. ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही, भारत में SHGs को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को भी रेखांकित कीजिए।

**स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups – SHGs)** छोटे स्वैच्छिक संगठन होते हैं, जो मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के होते हैं और जिनका उद्देश्य सामूहिक बचत, पारस्परिक सहायता और सूक्ष्म ऋण तक पहुँच प्राप्त करना होता है। ये समूह सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वित्तीय समावेशन, निर्णय-निर्धारण और आजीविका सृजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे ये समावेशी ग्रामीण विकास और लैंगिक उत्तरदायी शासन के स्तंभ बन चुके हैं।

### महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन में SHGs की भूमिका

1. **आर्थिक स्वतंत्रता के उत्प्रेरक**

   SHGs बिना जमानत के सूक्ष्म वित्त तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे महिलाएँ सूक्ष्म उद्यम शुरू कर पाती हैं, संपत्ति खरीद सकती हैं और आय के स्रोतों में विविधता ला सकती हैं। *लिज्जत पापड़* और *कुडुंबश्री* जैसी पहलें दर्शाती हैं कि SHGs किस प्रकार उद्यमिता और आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं।

2. **वित्तीय साक्षरता और समावेशन में सुधार**

   नियमित बचत, खाता लेखा और बैंकों के साथ संपर्क के माध्यम से SHG सदस्य वित्तीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और औपचारिक संस्थानों से जुड़ते हैं। *दीनदयाल अंत्योदय योजना–NRLM* के अंतर्गत लाखों SHGs के बैंक खाते हैं और वे संस्थागत ऋण का लाभ ले रही हैं।

3. **सामाजिक पूँजी और सामूहिक एजेंसी को मजबूत करना**

   SHGs महिलाओं को घरेलू हिंसा, स्वच्छता और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने में सक्षम बनाते हैं। *तमिलनाडु* और *आंध्र प्रदेश* जैसे राज्यों में SHGs ने सामुदायिक लेखा परीक्षाएँ और सामाजिक उत्तरदायित्व अभियान चलाए हैं, जिससे ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र गहरा हुआ है।

4. **निर्णय-निर्धारण के माध्यम से सशक्तिकरण**

   नियमित समूह बैठकें आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल और घरेलू बातचीत को बढ़ावा देती हैं। कई SHG सदस्य पंचायती राज संस्थाओं में भाग लेती हैं, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता है और गाँव स्तर की योजना पर उनका प्रभाव पड़ता है।

5. **स्वास्थ्य और पोषण के परिणामों में सुधार**

   SHGs *POSHAN अभियान* जैसी योजनाओं के अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। वे समुदाय के अंतिम छोर तक पहुँच बनाने वाले एजेंट के रूप में कार्य करती हैं।

6. **आपदा लचीलापन और आजीविका सुरक्षा**

   कोविड-19 महामारी के दौरान, SHGs ने PPE किट, मास्क बनाए और सामुदायिक रसोई चलाई, जिससे संकट के समय उनकी लचीलापन और स्थानीय संलग्नता की क्षमता प्रदर्शित हुई।

7. **डिजिटल और वित्तीय तकनीकों का प्रचार**

   डिजिटल SHG प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल बैंकिंग प्रशिक्षण जैसी हाल की पहलों ने डिजिटल समावेशन को बढ़ाया है। *बिहार* और *उत्तर प्रदेश* में SHG महिलाओं को *बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC-सखी)* के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे अपने समुदाय को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ रही हैं।

## SHGs के समक्ष संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियाँ

1. **वित्तीय स्थिरता और ऋण से जुड़ाव की कमी**

   विभिन्न योजनाओं के बावजूद, कई SHGs अपर्याप्त ऋण, बैंक भरोसे की कमी या दस्तावेज़ संबंधी समस्याओं के कारण ऋण नहीं ले पाते, जिससे उनके विस्तार की क्षमता सीमित हो जाती है।

2. **उच्च जाति/वर्ग का प्रभुत्व और आंतरिक संघर्ष**

   कुछ क्षेत्रों में SHGs पर उच्च जाति/वर्ग की महिलाओं का कब्जा होता है, जिससे गरीब या दलित सदस्यों को हाशिए पर धकेला जाता है। आंतरिक झगड़े और असमान भागीदारी समूह की एकता को प्रभावित करते हैं।

3. **कौशल और क्षमता निर्माण की सीमाएँ**

   कई SHGs को कौशल विकास, बाज़ार से जुड़ाव और उद्यमिता समर्थन प्राप्त नहीं होता, जिससे वे बुनियादी बचत और ऋण गतिविधियों तक सीमित रह जाते हैं।

4. **भौगोलिक और क्षेत्रीय असमानता**

   *केरल*, *तमिलनाडु* जैसे राज्यों में SHGs की पहुँच अधिक है, जबकि उत्तरी और जनजातीय क्षेत्रों में यह कम है। इसके पीछे कारण है जागरूकता की कमी, संस्थागत समर्थन की अनुपस्थिति और संरचनात्मक अवरोध।

5. **तकनीक और डिजिटलीकरण का सीमित प्रयोग**

   अधिकांश SHGs के पास डिजिटल उपकरण नहीं हैं, जिससे रिकॉर्ड संधारण, संचार और ई-कॉमर्स की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं। पिछड़े ज़िलों और गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों की महिलाओं में डिजिटल साक्षरता की कमी डिजिटल लैंगिक अंतर को बढ़ा रही है।

6. **निगरानी और मूल्याँकन की कमी**

   कमज़ोर निगरानी ढाँचे के कारण जवाबदेही कम होती है। कई SHGs अनियमित रूप से कार्य करती हैं, प्रशिक्षण और लेखा परीक्षाओं की कमी होती है, जिससे फंड का दुरुपयोग होता है।

7. **उत्पाद की गुणवत्ता और बाज़ार की पहुँच**

   अधिकांश SHG उद्यमों में ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाज़ार मानकों का अभाव है। बिना मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और ई-कॉमर्स समर्थन के, उनके उत्पाद स्थानीय मेलों या हाटों तक ही सीमित रह जाते हैं।

### SHGs को सशक्त बनाने के लिए सरकार की पहलें

1. **DAY–NRLM और SHG बैंक लिंक कार्यक्रम**

   *दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन* (DAY–NRLM) 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचने का लक्ष्य रखती है, जिसमें ब्याज सबवेंशन, क्रेडिट लिंक और क्लस्टर स्तर के संघ शामिल हैं। यह योजना 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को लगभग 80 लाख SHGs में संगठित कर चुकी है।

2. **मिशन शक्ति और वित्तीय सहायता**

   2023 में लॉन्च किया गया *मिशन शक्ति* SHG महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, और *स्टार्ट-अप इंडिया* और *स्किल इंडिया* कार्यक्रमों से एकीकरण को बढ़ावा देता है।

3. **स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)**

   SVEP गैर-कृषि SHG उद्यमियों को परामर्श, क्षमता निर्माण और बीज पूँजी प्रदान करता है। इसने पिछड़े ज़िलों में महिलाओं और युवाओं द्वारा चलाए गए 1.5 लाख से अधिक ग्रामीण उद्यमों को सहायता दी है।

4. **डिजिटल सशक्तिकरण: ई-शक्ति प्लेटफ़ॉर्म**

   NABARD की ई-शक्ति पहल SHG रिकॉर्ड, क्रेडिट स्कोर और लेनदेन इतिहास को डिजिटाइज़ करती है, जिससे पारदर्शिता और क्रेडिट योग्यता बढ़ती है। यह कई राज्यों में 4.5 लाख से अधिक SHGs को कवर करती है।

5. **आजिविका क्लस्टर और बाज़ार जुड़ाव**

   *एक जिला एक उत्पाद (ODOP)* और *PMFME* जैसी योजनाएँ SHGs को बाज़ार माँग, ब्रांडिंग और साझा सुविधाओं से जोड़ती हैं, जिससे कपड़ा, हस्तशिल्प और खाद्य क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों का विस्तार होता है।

6. **PRI–CBO अभिसरण**

   PRI–CBO फ्रेमवर्क के तहत SHGs को ग्राम योजना, स्वच्छता, PDS निगरानी और MGNREGA कार्यान्वयन में शामिल किया गया है, जिससे स्थानीय शासन और सामुदायिक समूहों के बीच समन्वय को बल मिलता है।

7. **BC-सखी और बीमा प्रोत्साहन**

   सरकार दूरदराज़ क्षेत्रों में SHG महिलाओं को *बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC-सखी)* के रूप में प्रशिक्षित करती है और PMJJBY व PMSBY जैसी योजनाओं के तहत बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

### निष्कर्ष

SHGs भारत के समावेशी, भागीदारी आधारित और लैंगिक-संवेदनशील ग्रामीण विकास दृष्टिकोण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। हाल ही में शुरू की गई *नमो ड्रोन दीदी योजना* जैसी पहलें इस बात को रेखांकित करती हैं कि अधिकार-आधारित और लचीला SHG पारिस्थितिकी तंत्र ग्रामीण परिवर्तन को गति देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आय और लैंगिक असमानता को पाटेगा।

## 17. नागरिक चार्टर की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सुशासन सुनिश्चित करने में इसकी महत्ता को रेखांकित कीजिए, इसके कमज़ोर क्रियान्वयन के कारणों का विश्लेषण कीजिए और इसे सुदृढ़ करने हेतु उपाय भी सुझाइए।

**नागरिक चार्टर** एक औपचारिक दस्तावेज़ है जो किसी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा नागरिकों को सेवा वितरण के मानकों, शिकायत निवारण और पारदर्शिता के संबंध में दी गई प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। इसकी उत्पत्ति 1991 में यूके के "सिटिजन चार्टर आंदोलन" से हुई और भारत ने इसे शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनाया।

### नागरिक चार्टर के घटक

1. **उद्देश्य**

   नागरिक चार्टर किसी सरकारी निकाय द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया गया सार्वजनिक घोषणा-पत्र होता है जिसमें उसकी दृष्टि, मिशन और सेवा मानकों का उल्लेख होता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और दावों की जानकारी देता है, जिससे अपेक्षाओं की स्पष्टता बनी रहती है और सेवा वितरण में जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

2. **मुख्य घटक**

   प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक नागरिक चार्टर में निम्नलिखित अवयव शामिल होने चाहिए:

   (i) दृष्टि और मिशन वक्तव्य,

   (ii) प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण,

   (iii) सेवा मानक,

   (iv) शिकायत निवारण तंत्र,

   (v) नागरिकों से अपेक्षाएँ, और

   (vi) उत्तरदायी अधिकारियों की संपर्क जानकारी।

3. **कानूनी स्थिति और दिशानिर्देश**

   हालाँकि नागरिक चार्टर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, परंतु यह 'सेवोत्तम ढाँचे' (Sevottam Framework) और सुशासन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) मंत्रालयों और विभागों को चार्टर तैयार करने के लिए संचालन दिशानिर्देश प्रदान करता है।

4. **सेवोत्तम मॉडल का एकीकरण**

   नागरिक चार्टर सेवोत्तम मॉडल का केंद्र है, जो एक गुणवत्ता प्रबंधन ढाँचा है और इसका फोकस है:

   (i) नागरिक-केंद्रितता,

   (ii) शिकायत निवारण,

   (iii) सेवा वितरण में सुधार — जो 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के आदर्श से जुड़ा है।

5. **सार्वजनिक संस्थानों और स्थानीय निकायों में उपयोग**

   रेलवे, अस्पतालों, नगर निकायों और पासपोर्ट कार्यालयों जैसे क्षेत्रों में नागरिक चार्टर को लागू किया गया है, जिससे नागरिकों को प्रक्रिया, समयसीमा और संपर्क बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है।

### सुशासन को बढ़ावा देने में नागरिक चार्टर का महत्त्व

1. **पारदर्शिता और सेवा उत्तरदायित्व को मजबूत करता है**

   नागरिक चार्टर सेवा मानकों और समयसीमाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित करता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। यह नौकरशाही विवेक को सीमित करता है, सूचना विषमता को कम करता है और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाता है।

2. **नागरिक-केंद्रित शासन को प्रोत्साहित करता है**

   यह प्रशासन को लोगों के निकट लाता है और नागरिकों को मात्र लाभार्थी नहीं बल्कि सेवा वितरण के सक्रिय सहभागी बनाता है।

3. **प्रदर्शन प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है**

   चार्टर स्पष्ट सेवा मानक निर्धारित करता है, जिससे विभागीय प्रदर्शन का मूल्याँकन किया जा सकता है। यह लेखा परीक्षा, आंतरिक समीक्षा और प्रदर्शन आधारित मूल्याँकन में सहायक होता है।

4. **भागीदारी और नैतिक शासन को बढ़ावा देता है**

   नागरिक चार्टर को तैयार करने में अक्सर हितधारकों से परामर्श किया जाता है, जो सहभागी लोकतंत्र के मूल्यों को दर्शाता है। यह कर्तव्यनिष्ठ और नैतिक सार्वजनिक सेवा की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

5. **शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम बनाता है**

   चार्टर शिकायत समाधान की प्रक्रियाओं और समयसीमाओं को स्पष्ट करता है, जिससे समयबद्ध और पारदर्शी सेवा सुधार सुनिश्चित होता है — यह संस्थागत विश्वास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

6. **सेवाओं की दक्षता और समयबद्धता को बेहतर बनाता है**

   यह विभागों को आंतरिक प्रक्रियाओं को घोषित समयसीमा के अनुरूप ढालने हेतु प्रोत्साहित करता है। इससे विलंब में कमी आती है और प्रशासनिक अनुशासन बढ़ता है।

7. **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को सहयोग करता है**

   स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और कल्याण योजनाओं में सेवा मानकों में सुधार करके नागरिक चार्टर सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG-16 (शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान) को प्राप्त करने में सहायक होता है।

## नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और सुधारात्मक उपाय

1. **कानूनी बाध्यता का अभाव**

   चूँकि अधिकांश नागरिक चार्टर बाध्यकारी नहीं हैं, इसलिए यह अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्ति नहीं रखते। यदि समयसीमा या सेवा मानक का उल्लंघन हो तो नागरिकों के पास कोई कानूनी उपाय नहीं होता।

2. **जागरूकता और प्रचार की कमी**

   कई क्षेत्रों में चार्टर का पर्याप्त प्रचार नहीं होता या स्थानीय भाषाओं में अनुवाद नहीं होता, जिससे नागरिक भागीदारी सीमित रह जाती है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बाधा है।

3. **निगरानी और मूल्याँकन तंत्र की कमज़ोरी**

   सेवा मानकों के अनुपालन की ट्रैकिंग नहीं होती। अधिकांश विभागों में ऑडिट सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स और दंड प्रणाली का अभाव होता है, जिससे परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण प्रभावित होता है।

4. **एकतरफा और ऊपर से नीचे की ड्राफ्टिंग प्रक्रिया**

   चार्टर अक्सर नागरिकों से परामर्श किए बिना तैयार किए जाते हैं, जिससे वे नागरिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के बजाय कठोर और सरकारी सुविधा-केंद्रित हो जाते हैं।

5. **प्रशिक्षण और संस्थागत स्वामित्व की कमी**

   अधिकारियों को अक्सर चार्टर की जानकारी नहीं होती या उसमें रुचि नहीं होती। प्रशिक्षण, जवाबदेही और प्रदर्शन प्रोत्साहनों की अनुपस्थिति इसे केवल एक औपचारिकता बना देती है।

6. **विखंडित शिकायत निवारण मंच**

   विभिन्न विभागों के अलग-अलग प्लेटफॉर्म नागरिकों को भ्रमित करते हैं और शिकायत दर्ज करना कठिन बनाते हैं। चार्टर को एकीकृत शिकायत तंत्र से जोड़ने की आवश्यकता है।

7. **अनुशंसित सुधार**

   द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC), वर्ल्ड बैंक और OECD की रिपोर्टें सुझाव देती हैं कि चार्टर को वैधानिक दर्जा दिया जाए, सेवा स्तर समझौते (SLAs) अपनाए जाएँ, सामाजिक लेखा परीक्षा की जाए और रीयल-टाइम निगरानी हेतु तकनीकी डैशबोर्ड का प्रयोग हो।

## निष्कर्ष

नागरिक चार्टर पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने वाले प्रभावशाली उपकरण हैं। किंतु प्रतीकात्मकता से प्रभावशीलता तक जाने के लिए भारत को इन्हें कानूनी समर्थन देना होगा, सह-निर्माण की प्रक्रिया को अपनाना होगा और इन्हें शिकायत निवारण, डिजिटल शासन और क्षमता निर्माण से जोड़ना होगा। सुदृढ़ कार्यान्वयन से ही नैतिक, समावेशी और उत्तरदायी लोक प्रशासन की प्राप्ति संभव होगी।

**18. बाल श्रम उन्मूलन के कारणों, कानूनी ढाँचे और भारत द्वारा की गई प्रयासों की प्रभावशीलता की विवेचना कीजिए।**

**बाल श्रम** से तात्पर्य बच्चों को ऐसे कार्यों में संलग्न करना है जो उनके बचपन, शिक्षा और गरिमा को छीन लेते हैं तथा उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रदत्त गारंटी और प्रगतिशील विधायी प्रयासों के बावजूद, संरचनात्मक सामाजिक-आर्थिक कारणों के चलते भारत में बाल श्रम अब भी व्यापक रूप से प्रचलित है, जिसे समाप्त करने हेतु राज्य और नागरिक समाज की बहु-आयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

### भारत में बाल श्रम के मूल कारण

1. **गरीबी और आर्थिक असुरक्षा**

   गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार अक्सर जीविकोपार्जन के लिए बच्चों की कमाई पर निर्भर होते हैं। बिहार और झारखंड जैसे क्षेत्रों में बच्चे कृषि, निर्माण या असंगठित निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण का चक्र चलता रहता है।

2. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच की कमी**

   स्कूलों की खराब बुनियादी संरचना, दूर की दूरी और शिक्षकों की अनुपस्थिति बच्चों को शिक्षा से दूर करती है। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा महंगी या अप्राप्य बनी रहती है, जिससे श्रम एक अधिक व्यावहारिक विकल्प बन जाता है।

3. **बेरोज़गारी और असंगठित श्रम बाजार**

   जब वयस्कों को रोज़गार नहीं मिलता, तब बच्चे सस्ते और आज्ञाकारी श्रमिक के रूप में चाय की दुकानों, ईंट भट्टों और घरेलू कामों जैसे क्षेत्रों में काम करने लगते हैं जहाँ निरीक्षण नगण्य होता है।

4. **सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएँ**

   कुछ समुदायों में बाल श्रम को प्रशिक्षण या कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। विशेषकर लड़कियाँ घरेलू कामों में या देखभाल की भूमिका में लगा दी जाती हैं, जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है।

5. **ऋण दासता और श्रम का अंत:संबंध**

   कई बच्चे पारिवारिक ऋण चुकाने के लिए काम करते हैं या बंधुआ श्रम व्यवस्था के तहत तस्करी का शिकार होते हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में यह अधिक आम है जहाँ बिचौलिए कानूनी खामियों का फायदा उठाते हैं।

6. **जागरूकता और प्रवर्तन की कमी**

   अभिभावक और नियोक्ता अक्सर बाल अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं, जबकि प्रवर्तन एजेंसियों के पास निगरानी की क्षमता या इच्छाशक्ति नहीं होती। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अनुपालन शून्यता उत्पन्न होती है।

7. **प्रवासन और प्राकृतिक आपदाएँ**

   जलवायु-प्रेरित घटनाओं, आंतरिक प्रवासन या संघर्ष के कारण विस्थापन बच्चों को स्कूल से बाहर कर देता है और श्रम में धकेल देता है। कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू काम और कृषि में बाल श्रम में वृद्धि देखी गई।

### भारत में बाल श्रम उन्मूलन हेतु विधिक और संस्थागत ढाँचा

1. **संवैधानिक प्रावधान**

   अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 21A 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 39(e) बच्चों को आर्थिक शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने की बात करता है।

2. **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016**

   यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में काम करने से प्रतिबंधित करता है और किशोरों (14–18 वर्ष) को खतरनाक कार्यों में नियोजन से रोकता है। हालाँकि, पारिवारिक व्यवसायों में मदद की अनुमति चिंता का विषय बनी हुई है।

3. **मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009**

   यह अधिनियम शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाते हुए पड़ोस के स्कूलों और बुनियादी संरचना के मानकों को सुनिश्चित करता है। यह स्कूल छोड़ने की दर को कम करके बाल श्रम को रोकने का प्रमुख आधार है।

4. **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015**

   यह बाल श्रमिकों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में मानता है, और बचाव, पुनर्वास और बाल कल्याण समितियों के माध्यम से संस्थागत समर्थन प्रदान करता है।

5. **राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (1987) और संशोधित कार्य योजना (2017)**

   यह नीति पहले पुनर्वास की रणनीति को अपनाती है, जिसमें बच्चों को श्रम से हटाकर शिक्षा, पोषण और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाता है, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से।

6. **वैधानिक निकाय और प्रवर्तन एजेंसियाँ**

   राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), श्रम निरीक्षक और पुलिस विभाग बाल श्रमिकों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन इनका प्रवर्तन कमज़ोर और संसाधनों की कमी से जूझता है।

7. **भारत द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ**

   भारत ने 2017 में ILO कन्वेंशन 138 और 182 को स्वीकार किया, जिससे न्यूनतम कार्य आयु सुनिश्चित करना और बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को समाप्त करना अनिवार्य हो गया।

## भारत की बाल श्रम विरोधी पहलों की प्रभावशीलता

1. **संख्या में गिरावट, लेकिन प्रगति धीमी**

   जनगणना 2011 में बाल श्रमिकों की संख्या 12.6 मिलियन (2001) से घटकर 10.1 मिलियन हो गई। लेकिन यह गिरावट असमान है और कई बार कम रिपोर्टिंग के कारण होती है, विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में।

2. **कमज़ोर कार्यान्वयन और निगरानी**

   मजबूत कानूनों के बावजूद प्रवर्तन कमज़ोर है। नियोक्ता अक्सर दंड से बच जाते हैं क्योंकि औचक निरीक्षण नहीं होते, श्रम न्यायालयों की क्षमता कम है और श्रम व शिक्षा विभागों में समन्वय की कमी है।

3. **आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में RTE की सीमाएँ**

   इन क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर अब भी अधिक है, जिसकी वजह से भाषा, संसाधन और बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ हैं, जिससे RTE का प्रभाव सीमित रह जाता है।

4. **पुनर्वास कार्यक्रमों में गहराई का अभाव**

   बचाए गए बच्चों को आश्रय गृहों में रखा जाता है लेकिन उन्हें कौशल प्रशिक्षण या दीर्घकालिक पुनर्सामाजिकरण योजनाएँ नहीं मिलतीं। मनोसामाजिक सहायता की भी भारी कमी है।

5. **बजट आवंटन का अपर्याप्त उपयोग**

   राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) और समग्र शिक्षा अभियान के लिए आवंटित बजट कई राज्यों में उपयोग नहीं हो पाता। धन की देरी और विचलन से योजना का ज़मीनी असर कम होता है।

6. **गिग और असंगठित अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियाँ**

   ऑनलाइन शोषण, डिलीवरी सेवाएँ और खतरनाक गिग नौकरियाँ बाल श्रम के नए रूप हैं, जो पारंपरिक कानूनों के दायरे से बाहर हैं। इसके लिए विधायी नवाचार की आवश्यकता है।

7. **नागरिक समाज और न्यायपालिका की भूमिका**

   'बचपन बचाओ आंदोलन' जैसे NGOs और MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य जैसे मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप ने जागरूकता फैलाई और नीति में बदलाव लाया। लेकिन राज्य और नागरिक समाज के बीच समन्वय अभी भी अपर्याप्त है।

## निष्कर्ष

भारत में बाल श्रम को समाप्त करने हेतु कानूनी और नीति ढाँचा मजबूत है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में खामियाँ हैं। आगे की राह समेकित कार्य योजनाओं, बाल केंद्रित बजट, सामुदायिक भागीदारी और अधिकार आधारित, निवारक दृष्टिकोण अपनाने की है, ताकि भारत सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 8.7 के अनुरूप बाल श्रम मुक्त देश बन सके।

**19. रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों, खाद्य सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को कैसे पुनर्परिभाषित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए। साथ ही, भारत की आर्थिक कूटनीति और राष्ट्रीय हितों पर इन परिवर्तनों के प्रभावों पर चर्चा कीजिए।**

**रूस-यूक्रेन संघर्ष**, जो फरवरी 2022 से जारी है, ने वैश्विक ऊर्जा प्रवाह, कृषि आपूर्ति श्रृंखला और वित्तीय प्रणाली को मूलभूत रूप से बाधित कर दिया है। इसने वैश्वीकरण, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा निर्भरता में निहित कमज़ोरियों को उजागर किया, जिससे व्यापार, रणनीतिक गठबंधन और बहुपक्षीय संस्थानों में पुनर्संरेखण हुआ, जिसका विकासशील अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

### वैश्विक संरचनात्मक विघटन

1. **वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में अस्थिरता**

   रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति बाधित हुई, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 2022 में $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई। यूरोप का ऊर्जा रुख अमेरिका और कतर से LNG की ओर मुड़ गया, जिससे माँग-आपूर्ति गतिकी में बड़ा बदलाव आया और रणनीतिक तेल भंडारों में पुनर्संतुलन हुआ।

2. **ऊर्जा व्यापार मार्गों का पुनः संरेखण**

   रूस ने भारत, चीन और अन्य देशों को रियायती दरों पर तेल निर्यात करना शुरू किया, जिससे पश्चिमी प्रभुत्व वाले ऊर्जा बाजार की पकड़ कमज़ोर हुई। यूरोप ने हरित ऊर्जा संक्रमण को तेज किया और OPEC+ ने उत्पादन नीति को समायोजित किया।

3. **वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर आघात**

   यूक्रेन और रूस, जो गेहूँ, सूरजमुखी तेल और उर्वरकों के प्रमुख निर्यातक हैं, उनके निर्यात में रुकावट आई। काला सागर में अवरोधों के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों में उछाल आया, जिससे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के आयात-निर्भर देशों पर असर पड़ा।

4. **उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान**

   रूस और बेलारूस, जो यूरिया और पोटाश के प्रमुख निर्यातक हैं, पर लगे प्रतिबंधों ने वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि की। इससे कृषि उत्पादकता प्रभावित हुई और खाद्य मुद्रास्फीति व ग्रामीण संकट की स्थिति उत्पन्न हुई।

5. **वैश्विक मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में वृद्धि**

   ऊर्जा और खाद्य कीमतों की वृद्धि से मुद्रास्फीतिक चक्र आरंभ हुआ, जिससे अमेरिका जैसे केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाईं। इससे वैश्विक तरलता में कमी आई और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी प्रवाह प्रभावित हुआ।

6. **मुद्रा अवमूल्यन और पूँजी बहिर्गमन**

   डॉलर के मजबूत होने से भारत जैसे देशों की मुद्रा कमज़ोर हुई, जिससे आयात लागत बढ़ी और पोर्टफोलियो निवेश में गिरावट आई, जिससे चालू खाता घाटा बढ़ा।

7. **भूराजनीतिक जोखिम और आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचना**

   युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखला की भंगुरता को उजागर किया, जिससे विविधीकरण, फ्रेंड-शोरिंग और क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों को बढ़ावा मिला और वैश्वीकरण का स्वरूप अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया।

### भारत की आर्थिक कूटनीति पर प्रभाव

1. **रणनीतिक तेल खरीद और ऊर्जा सुरक्षा कूटनीति**

   भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया और सामरिक तटस्थता बनाए रखते हुए पश्चिमी दबाव का सामना किया। इससे ऊर्जा प्रबंधन में व्यावहारिकता और बहुध्रुवीय विदेश नीति दृष्टिकोण को मजबूती मिली।

2. **खाद्य संकट के दौरान गेहूँ और चावल कूटनीति**

   भारत ने शुरुआती संकट में मिस्र, श्रीलंका और बांग्लादेश को गेहूँ निर्यात किया, जिससे कृषि अधिशेष को सॉफ्ट पावर के रूप में प्रयोग किया गया। साथ ही, घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए निर्यात प्रतिबंध भी लगाए गए।

3. **बहुपक्षीय मंचों पर मुखर भूमिका**

भारत ने G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर ग्लोबल साउथ की महँगाई, कर्ज और खाद्य असुरक्षा की चिंताओं को प्रमुखता दी। उसकी तटस्थता ने उसे पूर्व और पश्चिम के बीच पुल के रूप में प्रस्तुत किया।

4. **आर्थिक साझेदारियों का विविधीकरण**

भारत ने UAE, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) और ऊर्जा करार किए। इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) ने क्षेत्रीय सहयोग का नया मंच प्रदान किया।

5. **ग्लोबल साउथ कूटनीति में भारत की उन्नत भूमिका**

भारत ने श्रीलंका, मालदीव और अफ्रीकी देशों को मानवीय और ऊर्जा सहायता दी, जिससे उसकी "विश्वसनीय साझेदार" की छवि और मजबूत हुई।

6. **मध्य एशिया के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंधों का पुनरुद्धार**

भारत ने चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) में निवेश बढ़ाकर मध्य एशिया से संबंध सुदृढ़ किए, जिससे वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित हुए।

7. **प्रतिबंधों के तहत भुगतान प्रणाली का नवाचार**

भारत ने रूसी व्यापार को जारी रखने हेतु रुपये-रूबल विनिमय, वैकल्पिक SWIFT प्रणाली और करेंसी स्वैप जैसे उपायों को अपनाया, जिससे वित्तीय कूटनीति में लचीलापन दिखा।

## भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव

1. **आयात बिल और चालू खाता घाटा में वृद्धि**

कच्चे तेल, उर्वरक और खाद्य तेल की ऊँची कीमतों ने भारत के चालू खाता घाटे को बढ़ाया और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बनाया।

2. **खाद्य मुद्रास्फीति और पोषण सुरक्षा पर ख़तरा**

वैश्विक गेहूँ और तिलहन कीमतों में वृद्धि से घरेलू महँगाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ा। ग्रामीण गरीबों के भोजन की विविधता प्रभावित हुई।

3. **रूस और पश्चिम के साथ संबंधों में संतुलन**

भारत ने रूस से सामरिक सहयोग बनाए रखते हुए QUAD और G7 के साथ भी संवाद जारी रखा, जो रक्षा आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व में संतुलन हेतु आवश्यक है।

4. **रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता को मजबूती**

युद्ध ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति को और पुष्ट किया। भारत ने UNSC में सुधार और समावेशी वैश्विक शासन की वकालत की।

5. **आत्मनिर्भर भारत: ऊर्जा और रक्षा में नवाचार**

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, एथेनॉल मिश्रण और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के प्रयासों को गति दी, जिससे बाहरी निर्भरता कम हो सके।

6. **आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचना और औद्योगिक अवसर**

चीन+1 रणनीति के तहत भारत को वैकल्पिक निवेश गंतव्य के रूप में देखा जाने लगा। अर्धचालक, फार्मा और कृषि प्रसंस्करण में नए अवसर उत्पन्न हुए।

7. **डिजिटल रुपया और वित्तीय संप्रभुता**

CBDC और UPI आधारित वैश्विक भुगतान प्रणाली की पहल ने भारत की वित्तीय सुरक्षा और नवाचार क्षमता को बढ़ाया, जो SWIFT जैसी प्रणालियों के विकल्प प्रदान करती है।

### निष्कर्ष

रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक आर्थिक ढाँचे में व्यापक बदलाव लाए हैं, जो भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों लेकर आए हैं। रणनीतिक संतुलन, आर्थिक लचीलापन और सक्रिय बहुपक्षीय सहभागिता के ज़रिए भारत को राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार कूटनीति और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ना भारत को इस परिवर्तित वैश्विक व्यवस्था में सक्षम बनाएगा।

## 20. हाल ही में पहीलगाम हमले के संदर्भ में पाक-प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीतियों का मूल्याँकन कीजिए। भारत को राज्य प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस दिशा में अपनी रणनीतियों को कैसे मजबूत कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

**भारत की आतंकवाद विरोधी नीति** ने पाकिस्तान से प्रायोजित सतत सीमा-पार खतरों के जवाब में विकास किया है। हाल ही में **पहलगाम आतंकवादी हमला**, जिसमें सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाया गया, इस बात का प्रमाण है कि घुसपैठ, स्लीपर सेल गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रयुक्त हाइब्रिड युद्ध रणनीति अब भी सक्रिय हैं।

### भारत की सीमा-पार खतरों के विरुद्ध आतंकवाद विरोधी रणनीति

1. **मजबूत खुफिया तंत्र और निगरानी प्रणाली**

   IB, R&AW और NTRO जैसी एजेंसियों द्वारा समर्थित मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) के माध्यम से भारत ने अपनी खुफिया व्यवस्था को सशक्त किया है। सिग्नल इंटेलिजेंस और मानवीय खुफिया का उपयोग घुसपैठ और स्लीपर सेल की समय पूर्व पहचान में सहायक हुआ है।

2. **रक्षा आधारित सैन्य संरचना और सीमा सुरक्षा**

   LoC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) पर बाड़बंदी, थर्मल इमेजिंग का प्रयोग और BSF, ITBP व सेना की तैनाती से सीमा सुरक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल-आउट स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों दोनों को निशाना बना रहा है।

3. **सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमला**

   उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने आक्रामक रक्षा नीति अपनाई। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह दर्शाया कि भारत अब आतंकवादी उकसावे पर रणनीतिक प्रतिक्रिया देने को तैयार है।

4. **UAPA और NIA अधिनियम के तहत कानूनी तंत्र**

   UAPA (गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम) आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और टेरर फाइनेंसिंग को जब्त करने की शक्ति देता है। NIA अधिनियम संशोधन (2019) ने भारत को सीमा-पार आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की अनुमति दी।

5. **आतंकी फंडिंग पर रोक और FATF अनुपालन**

   भारत ने वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सहयोग से हवाला नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाई है। FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाकर भारत ने आतंकी वित्त पोषण को सीमित करने में कूटनीतिक सफलता पाई।

6. **बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी मंचों में भागीदारी**

   भारत संयुक्त राष्ट्र, SCO, FATF, INTERPOL और क्वाड में सक्रियता से शामिल है, और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभिसमय (CCIT) की वकालत करता है, साथ ही LeT और JeM जैसे संगठनों को वैश्विक रूप से आतंकवादी घोषित कराने की माँग करता है।

7. **तकनीकी आधुनिकीकरण और स्मार्ट पुलिसिंग**

   ड्रोन निगरानी, AI आधारित चेहरे की पहचान, और साइबर इंटेलिजेंस ने आतंकवादियों की गतिविधियों पर निगरानी को आसान किया है। CCTNS और ICJS जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स ने राज्यों के बीच अपराध डेटा को जोड़ा है।

## राज्य प्रायोजित आतंकवाद से निपटने की प्रमुख चुनौतियाँ

1. **पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह और छद्म संगठनों की भूमिका**

   लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और TRF जैसे आतंकी संगठन ISI के समर्थन से कार्यरत हैं। उन्हें पाकिस्तानी भूभाग में सुरक्षित पनाहगाह मिलती है, जिससे वे बार-बार हमलों की योजना बना पाते हैं।

2. **हाइब्रिड आतंकवाद और कट्टरपंथीकरण**

   नए जमाने के आतंकवादी बिना सैन्य पृष्ठभूमि के होते हैं और सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे पारंपरिक खुफिया तंत्र उन्हें पहचानने में असफल हो जाता है।

3. **चीन–पाकिस्तान गठजोड़ और वैश्विक मंचों पर अड़चन**

   चीन ने UNSC में मसूद अज़हर जैसे आतंकियों की सूचीबद्धता को रोककर पाकिस्तान को कूटनीतिक सुरक्षा दी है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी कोशिशें बाधित होती हैं।

4. **न्यायिक विलंब और कम सजा दरें**

   कठोर कानूनों के बावजूद मामलों में देरी, गवाह सुरक्षा की कमी और साक्ष्य प्रबंधन की खामियों के कारण न्यायिक प्रक्रिया कमज़ोर होती है।

5. **सीमा-पार ड्रोन से घुसपैठ**

   LoC और पंजाब सीमा पर ड्रोन के माध्यम से हथियार और नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं। भारत की एंटी-ड्रोन प्रणाली अभी भी कमज़ोर और बिखरी हुई है।

6. **मानवाधिकार आलोचना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी**

   AFSPA, हिरासत और कश्मीर में संचार बंदी जैसे मुद्दों पर भारत की आलोचना होती है, जिसका उपयोग विरोधी वैश्विक सहानुभूति प्राप्त करने हेतु करते हैं।

7. **संसाधनों की कमी और स्थानीय पुलिस की तैयारी में कमी**

   सीमावर्ती और संकटग्रस्त क्षेत्रों की पुलिस को पर्याप्त प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और खुफिया समन्वय की कमी होती है, जिससे स्थानीय स्तर पर आतंकवादी घटनाओं से निपटने की क्षमता सीमित होती है।

## भारत की आतंकवाद विरोधी प्रणाली को सशक्त करने के उपाय

1. **एकीकृत आतंकवाद विरोधी कमांड की स्थापना**

   राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र (NCTC) की स्थापना खुफिया, संचालन और अभियोजन को केंद्रीकृत कर सकती है। अमेरिकी मॉडल की तरह एक संघीय संरचना जरूरी है।

2. **ड्रोन और साइबर सुरक्षा का आधुनिकीकरण**

   एंटी-ड्रोन जैमर, सैटेलाइट निगरानी और साइबर कमांड केंद्रों में निवेश कर भारत को तकनीकी आतंकवाद से निपटने की शक्ति मिलेगी।

3. **आपराधिक न्याय प्रणाली और ट्रायल तंत्र में सुधार**

   तेज़ ट्रायल, डिजिटल साक्ष्य, वीडियो गवाही और गवाह सुरक्षा प्रणाली से मामलों में दंड की दर बढ़ेगी।

4. **रणनीतिक साझेदारी और खुफिया साझेदारी का लाभ उठाना**

   भारत को इज़राइल, फ्रांस, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ खुफिया साझेदारी गहन करनी चाहिए। UAE जैसे देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों का प्रयोग भगोड़े आतंकियों को पकड़ने में किया जाना चाहिए।

5. **कट्टरपंथ विरोधी प्रयासों का मुख्यधारा में लाना**

   धार्मिक नेताओं, शिक्षकों और युवाओं को समुदाय आधारित निगरानी और कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।

6. **सीमा प्रबंधन में सुधार**

   स्मार्ट फेंसिंग, बायोमेट्रिक एंट्री और उपग्रह निगरानी से सीमा की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा समन्वय को पुनर्जीवित करना होगा।

7. **वैश्विक आतंकवादी वित्त पोषण पर नियंत्रण**

   FATF और UNSC जैसे मंचों पर भारत को आतंकवादी वित्त पर निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की वकालत जारी रखनी चाहिए। भारत को UN सुधारों की भी माँग करनी चाहिए ताकि आतंकवादी संगठनों की सूचीबद्धता वीटो पॉलिटिक्स की बंधक न बने।

## निष्कर्ष

पहलगाम हमला यह दर्शाता है कि भारत की **संप्रभुता और सुरक्षा पर सीमा-पार, राज्य प्रायोजित आतंकवाद** का निरंतर ख़तरा बना हुआ है। भारत ने **ऑपरेशन सिंदूर** जैसे साहसी जवाबी कदम उठाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। अब समय है कि भारत एक **बहुस्तरीय आतंकवाद विरोधी ढाँचा** स्थापित करे, जो रणनीतिक स्वतंत्रता, वैश्विक सहयोग और स्थानीय लचीलापन पर आधारित हो — ताकि भारत आतंकवाद से मुक्त और सुरक्षित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ सके।

■■■■

NEXT IAS हिन्दी